

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल [*]	2021	लाख वर्ग किलोमीटर	3.42	32.87
2.	जनसंख्या [*]	2024	करोड़	8.19	140.07
3.	दशकीय वृद्धि दर [*]	2014-2024	प्रतिशतता	13.80	11.26
4.	जनसंख्या घनत्व [*]	2024	जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर	239.30	426.09
5.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या [*]	2024	प्रतिशतता	26.76	35.52
6.	लिंगानुपात ^{**}	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
7.	साक्षरता दर ^{**}	2011	प्रतिशतता	66.10	73.00
8.	शिशु मृत्यु दर ^{\$\$}	2020	प्रति 1,000 जीवित जन्म	32.00	28.00
9.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ^{&&}	2016-2020	वर्षों	69.40	70.00
10.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) ^{\$}	2011-12	प्रतिशतता	14.71	21.92

* भारत राज्य वन प्रतिवेदन (2021)

^{*} राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत और राज्य के लिए 2011-2036 के जनसंख्या अनुमान

^{**} आर्थिक समीक्षा 2023-24, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार

^{\$\$} सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन 2020

^{&&} एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016-20

^{\$} वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी अनुमान (तैदुलकर पद्धति), भारत सरकार

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के वित्तीय आंकड़े[§]

वित्तीय आंकड़े

चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) एवं वार्षिक वृद्धि दर के सन्दर्भ में	सीएजीआर			सीएजीआर			वार्षिक वृद्धि			वार्षिक वृद्धि		
	2014-15 से 2017-18			2018-19 से 2021-22			2021-22 से 2022-23			2022-23 से 2023-24		
	पूर्वोत्तर एवं राजस्थान हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान		पूर्वोत्तर एवं राजस्थान हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान		पूर्वोत्तर एवं राजस्थान हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान		पूर्वोत्तर एवं राजस्थान हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	
(प्रतिशत में)												
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	12.61	11.71	7.12	10.08		13.41	6.02		8.19	4.25	
ख.	स्व-कर राजस्व	9.49	9.38	7.17	9.24		19.80	16.76		10.58	7.72	
ग.	कर-भिन्न राजस्व	6.52	5.95	5.44	0.27		12.94	9.65		14.62	(-)9.17	
घ.	कुल व्यय	12.05	14.65	7.57	7.75		12.53	5.07		10.56	9.26	
ङ.	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय	12.02	9.33	4.80	6.08		18.92	-19.38		19.85	35.40	
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	9.33	11.25	7.34	5.29		13.21	9.91		5.11	10.72	
छ.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	14.09	16.08	14.96	8.09		0.88	-8.40		10.34	46.60	
ज.	वेतन एवं मजदूरी	9.86	16.98	8.19	4.68		9.71	4.65		7.52	9.41	
झ.	पेंशन	14.24	13.09	9.58	4.67		11.38	8.51		6.27	7.18	

§ वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित हैं।

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 8)

31 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2023 को	31.03.2024 को
आंतरिक ऋण	3,50,961.67	3,99,857.54
ब्याज वाले बाजार ऋण	3,02,202.82	3,58,826.82
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.03	0.03
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	7.68	5.65
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9,069.28	7,484.52
अन्य संस्थानों से ऋण	39,681.86	33,540.52
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	37,422.20	46,794.09
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	5.41	5.41
गैर-आयोजना ऋण	9.96	7.49
राज्य/केंद्र शासित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,227.06	718.01
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	3.05	3.05
राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित योजनाओं के लिए अन्य ऋण	36,176.72	46,060.13
आकस्मिकता निधि	1,000.00	1,000.00
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	64,122.93	70,219.43
जमायें	45,622.77	46,211.77
आरक्षित निधियाँ	15,058.62	18,446.21
प्रेषण शेष	0.54	-
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	-	-
योग	5,14,188.73	5,82,529.04
परिसम्पत्तियां	31.03.2023 को	31.03.2024 को
स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	2,61,965.13 ¹	2,88,596.62
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	59,291.41	61,778.42
अन्य पूंजीगत परिव्यय	2,02,673.72	2,26,818.20
ऋण एवं अग्रिम	7,968.22	7,961.69
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	4,581.55	4,296.64
अन्य विकासात्मक ऋण	3,388.62	3,667.01
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 1.95	(-) 1.96 ²
आरक्षित निधि निवेश	7,614.42	9,890.55
अग्रिम	3.14	3.05
प्रेषण शेष	-	7.91

- वर्ष के अंत तक सकल पूंजीगत व्यय में से ₹ 14.24 करोड़ (पूंजीगत विनिवेश) की प्रोफोर्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूंजीगत प्राप्तियां 'शून्य' दर्शायी गयी है।
- ऋणात्मक शेष परीक्षाधीन है।

देयताएं	31.03.2023 को	31.03.2024 को
उच्चत एवं विविध शेष	137.72	17.38
रोकड़-	57.11	654.26
कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 8.76	(-) 8.37
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 61.90	10.75
विभागीय रोकड़ शेष	0.73	0.51
स्थाई अग्रिम	23.74	23.86
रोकड़ शेष निवेश	103.30	627.51
सरकारी लेखे पर घाटा	2,36,442.99	2,75,397.59
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	31,491.36	38,954.60
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	2,04,951.63	2,36,442.99
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	-	(-) 0.01
योग	5,14,188.73	5,82,529.04

परिशिष्ट 1.3 एवं 2.1 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरण पत्रों में दिए गये सारान्शीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गयी टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखों में घाटा, जैसा **परिशिष्ट 1.3** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टाक आंकड़ों में अंतर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं हैं। उच्चत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गए चैक, राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटान बाकी है, सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये गये आंकड़ों के मध्य ₹ 1.53 करोड़ (नामे) का अंतर था। राशि ₹ 1.49 करोड़ (नामे) का समाधान और निपटान कर दिया गया है। राशि ₹ 0.04 करोड़ (नामे) का निवल अंतर अभी भी बकाया है और समायोजन के अधीन है।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 17)

वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2022-23	2023-24	संवितरण	2022-23	2023-24		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
भाग क							
I. राजस्व प्राप्तियाँ	1,94,987.93	2.03,276.28	I.राजस्व व्यय	2,26,479.29	2,24,465.91	17,764.97	2,42,230.88
कर राजस्व	87,346.38	94,085.94	सामान्य सेवायें	71,874.89	77,631.34	46.30	77,677.64
			सामाजिक सेवायें	90,168.36	91,807.21	10,076.70	1,01,883.91
कर-भिन्न राजस्व	20,564.43	18,679.58	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	44,449.78	45,993.38	3,283.89	49,277.27
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,144.72	16,741.08	2,528.95	19,270.03
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	57,230.79	68,063.21	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	11,407.19	10,565.95	983.88	11,549.83
			सूचना एवं प्रसारण	199.69	368.37	-	368.37
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	2,115.21	1,404.41	105.17	1,509.58
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम एवं श्रम कल्याण	843.45	1,548.47	7.75	1,556.22
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	17,912.09	15,048.09	3,167.06	18,215.15
केंद्र एवं केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	अन्य	96.23	137.46	-	137.46
			आर्थिक सेवायें	64,436.00	55,027.31	7,641.97	62,669.28
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	9,762.11	10,469.79	475.87	10,945.66
केंद्र प्रवर्तित योजनायें	14,554.31	14,262.92	ग्रामीण विकास	15,901.44	5,995.05	6,019.09	12,014.14
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.87	1.12	0.28	1.40
वित्त आयोग अनुदान	10,507.74	5,590.55	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,268.36	2,342.36	1.38	2,343.74
			उर्जा	24,518.31	27,040.44	-	27,040.44
राज्यों/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	4,784.28	2,594.08	उद्योग एवं स्निज	656.11	555.06	-	555.06
			परिवहन	5,069.19	4,550.08	809.33	5,359.41
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	21.05	16.02	1.12	17.14
			सामान्य आर्थिक सेवायें	6,238.56	4,057.39	334.90	4,392.29
योग	1,94,987.93	2,03,276.28	सहाय्यतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.04	0.05	-	0.05
योग	1,94,987.93	2,03,276.28	योग	2,26,479.29	2,24,465.91	17,764.97	2,42,230.88
II. भाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा	31,491.36	38,954.60	II. भाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग (क)	2,26,479.29	2,42,230.88	योग (क)	2,26,479.29	2,24,465.91	17,764.97	2,42,230.88
भाग ख							
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़	14,669.09	7,671.53	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2022-23	2023-24	संवितरण	2022-23	2023-24		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
शेष							
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	16.20	14.24	IV. पूँजीगत परिव्यय	19,798.28	23,274.41	3,371.31	26,645.72
			सामान्य सेवायें	542.45	362.64	44.30	406.94
			सामाजिक सेवायें	8,850.67	7,692.68	2,256.84	9,949.52
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,446.63	1,394.99	547.49	1,942.48
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,300.49	1,051.17	951.67	2,002.84
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	4,374.98	4,640.83	626.43	5,267.26
			सूचना एवं प्रसारण	1.04	2.60	-	2.60
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	558.58	349.19	110.61	459.80
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	33.65	139.28	20.64	159.92
			अन्य	135.30	114.62	-	114.62
			आर्थिक सेवायें	10,405.16	15,219.09	1,070.17	16,289.26
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	663.02	867.32	24.33	891.65
			ग्रामीण विकास	1,033.20	842.18	-	842.18
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	61.99	58.28	-	58.28
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,428.52	4,865.62	220.33	5,085.95
			उर्जा	1,953.38	1,854.32	-	1,854.32
			उद्योग एवं सनिज	10.79	5.24	-	5.24
			परिवहन	2,620.28	6,299.91	821.46	7,121.37
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	8.77	9.49	-	9.49
			सामान्य आर्थिक सेवायें	625.21	416.73	4.05	420.78
			योग	19,798.28	23,274.41	3,371.31	26,645.72
V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	419.61	404.74	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	174.78	-	-	398.21
विद्युत परियोजनाओं से	217.11	284.91	विद्युत परियोजनाओं के लिये	23.40	-	-	-
सरकारी कर्मचारियों से	0.04	0.02	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-
अन्यों से	202.46	119.81	अन्यों को	151.38	-	-	398.21
VI. अधोनित राजस्व अधिशेष	-	-	VI. अधोनित राजस्व घाटा	31,491.36	-	-	38,954.60
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	55,647.01	87,154.13	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	20,819.20	-	-	28,886.38
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	48,563.10	76,194.83	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	19,408.77	-	-	27,298.96
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	--	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2022-23	2023-24	संवितरण	2022-23	2023-24		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	7,083.91	10,959.30	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,410.43	-	-	1,587.52
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-	-	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	2,43,204.58	2,85,479.58	X. लोक लेखा संवितरण	2,34,001.34	-	-	2,75,294.50
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	15,416.80	16,408.29	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	10,080.23	-	-	10,311.79
आरक्षित निधियाँ	12,718.15	10,609.48	आरक्षित निधियाँ	10,246.79	-	-	7,221.88
उचंचत एवं विविध	(-) 40.51	118.23	उचंचत एवं विविध	11.48	-	-	(-) 2.10
प्रेषण	12,890.10	14,517.77	प्रेषण	12,891.07	-	-	14,526.21
जमा एवं अग्रिम	2,02,220.04	2,43,825.81	जमा एवं अग्रिम	2,00,771.77	-	-	2,43,236.72
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	XI. अंत में रोकड़ शेष	7,671.53	-	-	10,544.81
			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 8.76	-	-	(-) 8.37
			रिजर्व बैंक के पास जमायें	(-) 61.90	-	-	10.75
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	24.47	-	-	24.37
			रोकड़ शेष निवेश	103.30	-	-	627.51
			चिन्हित निवेश निधियाँ	7,614.42	-	-	9,890.55
योग (ख)	3,13,956.49	3,80,724.22	योग (ख)	3,13,956.49	-	-	3,80,724.22

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 21)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,40,114	1,34,308	1,83,920	1,94,988	2,03,276
(i) कर राजस्व	59,245(42)	60,283(45)	74,808(41)	87,346 (45)	94,086 (46)
कृषि आय पर कर	- ³	- ³	- ³	- ³	- ³
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	21,954(37)	20,755(34)	27,502(37)	33,790 (39)	38,016 (40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,843(27)	17,479(29)	20,605(27)	22,727 (26)	23,473 (25)
राज्य उत्पाद शुल्क	9,592(16)	9,853(16)	11,807(16)	13,326 (15)	13,225 (14)
वाहनों पर कर	4,951(8)	4,368(7)	4,759(6)	6,128 (7)	6,704 (7)
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	4,235(7)	5,297(9)	6,492(9)	8,189 (9)	9,181 (10)
भू-राजस्व	364(1)	280(1)	632(1)	484 (1)	469 (1)
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	41(-)	45(-)	171(-)	8 (-)	- ⁴
अन्य कर	2,265(4)	2,206(4)	2,840(4)	2,694 (3)	3,018 (3)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	15,714(11)	13,653(10)	18,755(10)	20,565 (10)	18,680 (9)
(iii) संचयी करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	36,049(26)	35,576(27)	54,031(29)	57,231 (29)	68,063 (34)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,106(21)	24,796(18)	36,326(20)	29,846 (16)	22,447 (11)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20	14	31	16	14
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,670	373	2,374	420	405
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,55,804	1,34,695	1,86,325	1,95,424	2,03,695
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	44,757	66,480	62,821	55,647	87,154
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	40,548(91)	59,344(89)	53,485(85)	48,563 (87)	76,195 (87)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,209(9)	7,136(11)	9,336(15)	7,084 (13)	10,959 (13)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	2,00,561	2,01,175	2,49,146	2,51,071	2,90,849
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	500	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,93,165	2,08,447	2,51,295	2,43,204	2,85,480
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	3,93,726	4,09,622	5,00,941	4,94,275	5,76,329
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	56,186(32)	60,144 (34)	65,406 (31)	71,875 (32)	77,678 (32)
सामाजिक सेवायें	68,313(39)	74,009(41)	85,054(41)	90,168 (40)	1,01,884(42)
आर्थिक सेवायें	51,986(29)	44,156(25)	59,330(28)	64,436 (28)	62,669 (26)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵
11. पूंजीगत व्यय	14,718	15,271	24,152	19,798	26,646
सामान्य सेवायें	463(3)	398(3)	484(2)	542 (3)	407 (2)
सामाजिक सेवायें	5,490(37)	7,642(50)	10,951(45)	8,851 (45)	9,950 (37)
आर्थिक सेवायें	8,765(60)	7,231(47)	12,717(53)	10,405 (52)	16,289 (61)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	2,255	491	621	175	398
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	18,616	17,539	17,586	20,819	28,886
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	17,782(96)	16,632(95)	16,467(94)	19,409 (93)	27,299 (95)

3 2019-20: शून्य, 2020-21: ₹ 0.04 लाख, 2021-22: ₹ 0.19 लाख, 2022-23: ₹ 0.06 लाख एवं 2023-24: ₹ 0.16 लाख

4 ₹ (-) 0.46 करोड़

5 2019-20: ₹ 0.07 करोड़, 2020-21: ₹ 0.07 करोड़, 2021-22: ₹ 0.04 करोड़, 2022-23: ₹ 0.04 करोड़ एवं 2023-24: ₹ 0.05 करोड़

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम	834(4)	907(5)	1,119(6)	1,410 (7)	1,587 (5)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	2,12,074	2,11,610	2,52,149	2,67,271	2,98,161
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	500	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,79,741	1,99,229	2,40,110	2,34,001	2,75,295
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	3,91,815	4,10,839	4,92,759	5,01,272	5,73,456
भाग ग: घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(-) 36,371	(-) 44,001	(-) 25,870	(-) 31,491	(-) 38,955
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 37,654	(-) 59,376	(-) 48,238	(-) 51,028	(-) 65,580
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-) 14,011	(-) 34,174	(-) 20,138	(-) 20,426	(-) 31,452
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	23,643	25,202	28,100	30,602	34,128
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	41,025	39,745	49,127	49,443	48,329
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	04	99	143	273	329
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	04	99	143	273	329
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर व्याज	0.29	13.85	25.02	113.09	339.93
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ^०	10,00,032	10,17,917	11,94,961 ^८	13,57,851 ^९	15,28,385 ^{१०}
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	3,52,702	4,10,500 ^१	4,62,845 ^२	5,05,574 ^३	5,71,639 ^४
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत में) (व्याज सहित)	80,631	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918
30. दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	1,44,676	1,56,822	1,72,684	2,01,008	2,21,973
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	329	-*	-*	347	541
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	31,374	-*	-*	30,669	30,534
भाग ड: राजकोषीय स्थिति सूचकांक (प्रतिशतता में)					
I संसाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	5.9	5.9	6.3	6.4	6.2
स्व कर-भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.6	1.3	1.6	1.5	1.2
केन्द्रीय हस्तांतरण/जीएसडीपी	6.5	5.9	7.6	6.4	5.9
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशतता में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	19.3	19.1	19.6	18.2	17.6
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	138.1	144.5	127.5	126.4	132.5
राजस्व व्यय/कुल व्यय	91.2	91.9	89.4	91.9	90.0
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	35.3	38.1	36.3	36.6	37.8
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	26.9	22.8	25.3	26.1	23.3
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	7.6	7.9	10.3	8.0	9.9
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	7.4	7.7	10.1	7.8	9.7
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष+)/जीएसडीपी	(-) 3.6	(-) 4.3	(-) 2.2	(-) 2.3	(-) 2.5
राजकोषीय घाटा /जीएसडीपी	(-) 3.8	(-) 5.8	(-) 4.0	(-) 3.8	(-) 4.3
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 1.4	(-) 3.4	(-) 1.7	(-) 1.5	(-) 2.1
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	96.6	74.1	53.6	61.7	59.4
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी	35.27	39.88 ^६	37.74 ^७	36.36 ^७	36.62 ^७

6. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-दू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ के जीएसडी मुआवजे को छोड़कर प्राप्त हुई है।

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय देयताएं / राजस्व प्राप्तियां	251.7	305.6	251.7	259.2	281.2
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	92.6	88.8	92.9	96.9	93.6
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.1	0.01	0.15	0.05	0.08
वित्तीय परिसंपत्तियां / देयताएं	0.62	0.57	0.56	0.54	0.53

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उप-शीर्ष के योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान सरकार।

Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I एवं ## अग्रिम अनुमान

* राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

\$ प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं ₹ 4,05,896 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

\$\$ प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 4,50,973 करोड़ वर्ष 2022-23 लिए ₹ 4,93,702 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 5,59,767 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

7 कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे छोड़कर प्राप्त हुई है।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 60)

ऋण की शब्दावली

मद	इसका अर्थ है
मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)	यह केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को सही करने में सहायता हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेने की सुविधा है। इस तरह के अग्रिमों को अग्रिम लेने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर चुकाया जाना चाहिए।
ओवर ड्राफ्ट	सरकारों को उनकी मार्गोपाय अग्रिम से अधिक मात्रा में राशि निकालने की अनुमति है। कोई भी राज्य एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए आरबीआई के साथ ओवर ड्राफ्ट नहीं चला सकता है। एक राज्य 14 से 21 लगातार कार्य दिवसों और एक तिमाही के दौरान 36 से 50 कार्य दिवसों तक ओवर ड्राफ्ट में रह सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियां	एक सरकारी प्रतिभूति (सेक्शन-जी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य साधन है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ आमतौर पर ट्रेजरी बिल कहलाते हैं) या दीर्घकालिक (एक वर्ष या अधिक की मूल परिपक्वता के साथ आमतौर पर सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहलाते हैं) होती हैं। भारत में केन्द्र सरकार, ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है।
टी-बिल	ट्रेजरी बिल केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं। उनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है। इन प्रतिभूतियों को छूट पर बेचा जाता है और इसका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, जिससे निवेशक अपना पैसा बनाते हैं। वर्तमान में 91 दिनों के टी-बिल, 182 दिनों के टी-बिल और 364 दिनों के टी-बिल सक्रिय हैं।
टी-नोट्स	ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बिलों की तुलना में लम्बी परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां हैं। उनकी परिपक्वता अवधि दो, तीन, चार, पाँच, सात और दस वर्ष हो सकती है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।
टी-बांड	ट्रेजरी बांड 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ दीर्घकालिक निवेश है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ सं.77)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण मदों की शब्दावली

1. 'लेखे या वर्ष के वास्तविक आंकड़े' - प्राप्तियों और संवितरणों की राशियाँ जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा प्राधिकारी की पुस्तकों में अन्तिम रूप से दर्ज की गई है (जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखों से तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखों से है।
2. 'योजना, प्रस्ताव या कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति' - सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय के प्रयोजन के लिए दी गई औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ यह उस सम्बंधित वर्ष, जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य की वित्तीय स्वीकृति के रूप में संचालित होती है।
3. 'वार्षिक वित्तीय विवरण' - इस का अर्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण से है, जिसे संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, इसे बजट के रूप में भी जाना जाता है।
4. 'विनियोग' - का अर्थ विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाईयों या उसके हिस्से के अन्तर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखा जाता है।
5. 'प्रभारित व्यय' - का अर्थ ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6. 'भारत/राज्य की समेकित निधि' - इसमें, संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, उठाये गये ऋण और भारत/राज्य के समेकित निधि से ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से, राशि को विधि के अनुसार और संविधान में दिए गए तरीके तथा उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7. 'आकस्मिकता निधि' - एक अग्रदाय/पेशगी की प्रकृति के रूप में है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को वर्ष के दौरान उत्पन्न ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अग्रिम प्रदान करना है। जिनका संसद/विधानसभा द्वारा प्राधिकृतिकरण लम्बित है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात की जाती है।
8. 'नियंत्रण अधिकारी (बजट)' - इसका अर्थ ऐसे एक अधिकारी से है, जिसे विभाग द्वारा व्यय को नियंत्रित करने और/या राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस मद में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।
9. 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी(डी.डी.ओ)' - का अर्थ है कार्यालयाध्यक्ष तथा किसी भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिलों के आहरण तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान करने हेतु नामित किया गया है। इस मद में विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10. 'आधिक्य अनुदान' - आधिक्य अनुदान का अर्थ मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत किये गये प्रावधान से अधिक और ज्यादा व्यय की राशि से है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अन्तर्गत संसद/राज्य विधानसभा के द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता होती है।
11. 'नई सेवा' - संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ)/205(1)(अ) के अनुसार, नई सेवा का अर्थ एक नई गतिविधि या नए निवेश के रूप सहित एक नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाले व्यय से है जिसे पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

12. 'सेवा का नया साधन'- इसका अर्थ मौजूदा गतिविधि में महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत वृहत व्यय से है।
13. 'लोक लेखा'- इसका अर्थ संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। लोक लेखा में प्राप्तियाँ और संवितरण जैसे कि जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है, शामिल होती है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई राशियाँ नहीं हैं।
14. 'पुनर्विनियोजन'- इसका अर्थ विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत किये गए हस्तान्तरण से है।
15. 'संशोधित अनुमान'- एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का अनुमान है जिसे उस वर्ष के लिए पहले से दर्ज किये गए लेनदेनों और पहले से जारी आदेशों के सन्दर्भ में शेष वर्ष के लिए पूर्वानुमान के परिपेक्ष्य में संरूपित किया गया है।
16. 'अनुदानों के लिए अनुपूरक माँग'- इसका अर्थ विधायिका के समक्ष रखे गए अनुपूरक माँगों के विवरण से है, जो किसी वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक अतिरिक्त व्यय की राशि को दर्शाता है। अनुपूरक अनुदान की माँग प्रतीकात्मक (टोकन), तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।
 - अ) नगद अनुपूरक मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ऊपर है तथा माँग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि का परिणाम है। इसे अन्तिम उपाय के रूप में और उचित जाँच-पड़ताल के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुसरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
 - ब) प्रत्येक माँग के चार खण्ड होते हैं अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित। तकनीकी अनुपूरक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी एक खण्ड के लिए किसी अन्य खण्ड की बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।
 - स) प्रतीकात्मक (टोकन) अनुपूरक अनुदान के उसी खण्ड के तहत बचत के उपयोग की अनुमति देता है।
17. 'मुख्य शीर्ष'- यह राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य लेखा शीर्ष है। सामान्यतः समेकित निधि के तहत आने वाले, सरकार के एक 'कार्यकलाप' जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से एक मुख्य शीर्ष सम्बंधित होता है।
18. 'उप मुख्य शीर्ष'- इसका अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके नीचे लघुशीर्ष के बीच दर्शाये गये मध्यवर्ती लेखाशीर्ष से है, जब लघु शीर्ष असंख्य होते हैं तो उन्हें इस मध्यवर्ती लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सरलता से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
19. 'लघु शीर्ष'- इसका अर्थ एक मुख्य शीर्ष या एक उप मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष एक 'कार्यक्रम' की पहचान करता है।
20. 'उप-शीर्ष'- इसका अर्थ लघु शीर्ष के अधीन अगले लेखे की इकाई है, जो कि लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अधीन योजना या संगठन को सामान्यतया इंगित करती है।
21. 'मुख्य कार्य'- इसका अर्थ मूल कार्य से है, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त जिसकी अनुमानित लागत राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।

22. 'लघु कार्य'- इसका अर्थ मूल कार्य से है, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त जिसकी अनुमानित लागत राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोग'- इसका अर्थ किसी विनियोग के उप-शीर्ष को आवंटित राशि से है, जो कि पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है।
24. 'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग'- इसका अर्थ उस वर्ष के विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल प्रावधान से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग विधेयक में शामिल प्रावधान से है।
25. 'नये व्यय की अनुसूची'- इसका अर्थ आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित मदों पर नये व्यय के विवरण से है।
26. 'प्रतीकात्मक (टोकन) मांग'- इसका अर्थ विधानसभा से एक मामूली या प्रतीक (टोकन) राशि की मांग से है। जिसमें, उदाहरण के लिये यह प्रस्तावित है कि स्वीकृत बजट अनुदान के समक्ष बचत में से नयी सेवा हेतु सम्पूर्ण व्यय को पूरा करना है।
27. 'सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर'- $\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि}) / 2] * 100$

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संस्था एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन								
1	30-जनजातीय क्षेत्र विभाग	2211-796-02-03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	314.01	0.00	(+) 123.29	437.30	439.80	(+) 2.50
2	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	4225-03-800-01-02 आदर्श छात्रावास योजना के अंतर्गत देवनारायण छात्रावास भवन का निर्माण	15.00	0.00	(+) 1.34	16.34	19.84	(+) 3.50
3	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जलापूर्ति योजना	498.07	0.00	(+) 77.58	575.65	598.30	(+) 22.65
4	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-32-800-01 परवन परियोजना (वाणिज्यिक) अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	415.85	0.00	(-) 29.90	385.95	375.93	(-) 10.02
5		2700-39-800-01 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	89.02	0.00	(-) 6.90	82.12	77.88	(-) 4.24
6		2700-80-800-02-01 रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना – प्रतिबद्ध	147.68	0.00	(-) 4.20	143.48	133.83	(-) 9.65
7	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास बोर्ड के माध्यम से	₹ 1000	0.00	(+) 414.62	414.62	506.30	(+) 91.68
8	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-02-110-01 टाइगर परियोजना रणथंभौर	94.00	0.00	(-) 23.54	70.46	66.20	(-) 4.26
9	50- सहकारिता विभाग	2425-800-05-01 एनएफएसए परिवारों को मुफ्त राशन	0.00	1625.00	(-) 845.14	779.86	778.67	(-) 1.19
10	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-113-01-02 अनुसूचित जातियों के लिए समग्र शिक्षा	308.66	0.00	(-) 120.18	188.48	185.35	(-) 3.13
11		2211-789-02-03 (एनआरएचएम)	410.63	0.00	(+) 101.30	511.93	515.63	(+) 3.70
12	52- पंचायती राज विभाग	2515-198-03-02 कार्यात्मक/गतिविधियाँ	2,568.75	0.00	(-) 981.61	1,587.14	1585.76	(-) 1.38
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन								
13	30-जनजातीय क्षेत्र विभाग	4215-01-796-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संरक्षण विभाग के माध्यम से)	₹ 1000	0.00	(+) 5.83	5.83	0.00	(-) 5.83
14	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-04-800-01 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	544.87	0.00	(+) 19.82	564.69	500.33	(-) 64.36
15	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2235-60-196-01-08 अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	49.44	0.00	(+) 54.28	103.72	45.30	(-) 58.42
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन								
16	30-जनजातीय क्षेत्र विभाग	5054-03-796-07 केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित सड़कें	87.62	0.00	(+) 23.02	110.64	105.57	(-) 5.07
17		5054-04-796-22-90 निर्माण कार्य	0.00	₹ 1000	(+) 47.50	47.50	46.27	(-) 1.23
18	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	4225-03-800-01-03 देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण	40.00	5.23	(-) 16.12	29.11	31.36	(+) 2.25

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिव्यय(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
19	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-196-02-29 स्थापना व्यय हेतु	18.69	0.00	(+) 3.33	22.02	20.60	(-) 1.42
20	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	2245-02-114-10-05 शीत लहर	₹ 2000	50.92	(+) 402.74	453.66	451.34	(-) 2.32
21	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-02-800-03 अन्य परियोजना — प्रतिबद्ध	91.91	0.00	(+) 17.03	108.94	93.23	(-) 15.71
22		4701-80-800-03-01 निर्माण कार्य	150.29	0.00	(-) 122.71	27.58	28.90	(+) 1.32
23	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-02-337-01-02 रस्तरस्साव और जीर्णोद्धार	₹ 1000	0.00	(+) 122.22	122.22	119.79	(-) 2.43
24		5054-03-337-01 निर्माण	137.38	0.00	(+) 34.34	171.72	170.30	(-) 1.42
25		5054-03-337-05 केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित सड़कें	446.48	0.00	(+) 65.65	512.13	503.68	(-) 8.45
26		5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I -(एडीबी)	845.10	0.00	(-) 106.06	739.04	740.72	(+) 1.68
27		5054-04-800-23-90 निर्माण कार्य	1,020.34	0.00	(+) 208.77	1,229.11	1,226.11	(-) 3.00
28	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4059-80-789-03-02 अन्य भवन	16.20	0.00	(-) 16.20	0.00	4.43	(+) 4.43
29		5054-03-789-07 केंद्रीय सड़क निधि द्वारा वित्तपोषित सड़क	115.89	0.00	(+) 23.40	139.29	137.25	(-) 2.04

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 85)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहां बचतें कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ से अधिक रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण
	राजस्व प्रभारित						
1.	03-ब्याज अदायगियां	32,393.67	2,167.38	34,561.05	34,129.22	(-) 431.83	412.59
	राजस्व दत्तमत						
2.	10- वाणिज्यिक कर विभाग	1,128.78	88.91	1,217.69	1,026.53	(-) 191.16	191.16
3.	13- कोष एवं लेखा प्रशासन	2,063.46	11.85	2,075.31	1,619.74	(-) 455.57	455.69
4.	16- राजस्व विभाग	1,962.96	32.61	1,995.57	1,670.31	(-) 325.26	325.17
5.	18- गृह विभाग	9,122.99	196.33	9,319.32	8,727.74	(-) 591.58	594.98
6.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	18,787.28	134.62	18,921.90	14,595.35	(-) 4,326.55	4,195.03
7.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	23,526.42	55.95	23,582.37	22,821.44	(-) 760.93	654.74
8.	22- उच्च शिक्षा विभाग	2,027.27	75.90	2,103.17	1,852.68	(-) 250.49	249.78
9.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	189.38	73.66	263.04	114.93	(-) 148.11	148.10
10.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	9,373.80	432.60	9,806.40	9,248.33	(-) 558.07	556.96
11.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	3,344.47	₹ 2000	3,344.47	3,132.83	(-) 211.64	210.22
12.	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1,211.07	3.00	1,214.07	1,055.46	(-) 158.61	158.66
13.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	21,319.67	837.10	22,156.77	18,264.75	(-) 3,892.02	3,858.15
14.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	7,778.80	1,162.86	8,941.66	8,042.40	(-) 899.26	930.29
15.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2,636.33	53.76	2,690.09	2,175.89	(-) 514.20	512.46
16.	34- श्रम एवं रोजगार विभाग	1,658.02	28.34	1,686.36	1,577.98	(-) 108.38	107.83
17.	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5,089.99	850.92	5,940.91	4,103.76	(-) 1,837.15	1,801.85
18.	40- स्वायत्त शासन विभाग	6,036.51	878.03	6,914.54	5,111.21	(-) 1,803.33	1,803.36
19.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2,843.95	₹ 2000	2,843.95	2,623.39	(-) 220.55	90.30
20.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	1,118.67	0.00	1,118.67	974.79	(-) 143.88	139.10
21.	46- कृषि विभाग	3,616.80	45.90	3,662.70	3,427.97	(-) 234.73	234.73
22.	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1,402.61	292.77	1,695.38	1,287.87	(-) 407.51	399.86
23.	48- उद्यानिकी विभाग	817.70	6.46	824.16	580.64	(-) 243.52	243.51
24.	50- सहकारिता विभाग	1,160.05	1,638.10	2,798.15	1,208.66	(-) 1,589.49	1,588.22
25.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	26,928.37	1,078.54	28,006.91	22,540.37	(-) 5,466.54	5,378.55
26.	52- पंचायती राज विभाग	9,069.50	0.00	9,069.50	6,102.00	(-) 2,967.50	2,697.23
27.	53- ग्रामीण विकास विभाग	4,389.16	395.22	4,784.38	2,490.26	(-) 2,294.12	2,294.12
28.	54- ऊर्जा विभाग	15,792.14	3,340.14	19,132.28	17,510.73	(-) 1,621.55	1,621.55
29.	55- स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,468.51	₹ 5000	1,468.51	778.61	(-) 689.90	689.85
30.	56- उद्योग विभाग	521.90	47.70	569.60	352.48	(-) 217.12	217.12
31.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2,195.88	₹ 4000	2,195.88	1,166.08	(-) 1,029.80	1,029.80
32.	62- परिवहन विभाग	1,046.73	151.31	1,198.04	1,021.27	(-) 176.77	175.69
	पूँजीगत दत्तमत						
33.	08- सचिवालय	120.98	0.00	120.98	9.20	(-) 111.78	111.74
34.	17- सामान्य प्रशासन विभाग	192.10	14.00	206.10	80.84	(-) 125.26	125.26
35.	18- गृह विभाग	277.39	50.00	327.39	84.01	(-) 243.38	243.38
36.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	198.13	237.49	435.62	95.83	(-) 339.79	339.79
37.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	865.83	200.38	1,066.21	649.80	(-) 416.40	416.40
38.	22- उच्च शिक्षा विभाग	296.40	412.61	709.01	585.12	(-) 123.89	123.89
39.	26- युवा मामले एवं खेल विभाग	52.08	270.00	322.08	182.13	(-) 139.95	139.94

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण
40.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	800.60	67.55	868.15	625.36	(-) 242.79	242.79
41.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,562.94	0.00	1,562.94	535.71	(-) 1,027.23	1,027.21
42.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	7,036.71	254.65	7,291.36	5,051.16	(-) 2,240.20	2,224.91
43.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	319.42	0.00	319.42	134.25	(-) 185.17	185.17
44.	39- नगरीय विकास एवं आवास विभाग	253.42	₹ 2000	253.42	13.54	(-) 239.88	239.88
45.	40- स्वायत्त शासन विभाग	4,336.33	58.41	4,394.74	2,016.32	(-) 2,378.42	2,379.10
46.	41- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	3,665.00	0.00	3,665.00	2,148.73	(-) 1,516.27	1,509.44
47.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,192.36	61.49	3,253.85	2,470.16	(-) 783.69	784.42
48.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	8,204.61	223.74	8,428.35	5,165.91	(-) 3,262.44	3,260.62
49.	53- ग्रामीण विकास विभाग	737.33	335.00	1,072.33	606.25	(-) 466.07	457.29
50.	54- ऊर्जा विभाग	1,189.56	0.00	1,189.56	531.94	(-) 657.62	657.62
51.	59- पर्यटन विभाग	36.16	277.49	313.65	208.04	(-) 105.61	105.34
52.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	726.18	₹ 2000	726.18	286.23	(-) 439.95	439.95
	कुल	2,56,086.37	16,542.77	2,72,629.14	2,22,816.20	49,812.94	48,980.79

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 87)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	अनभ्यर्पित राशि
राजस्व प्रभारित				
1.	03- ब्याज अदायगी	431.83	412.59	19.24
2.	15- पेंशन	16.66	14.62	2.04
राजस्व दत्तमत				
3.	06- विधि एवं विधिक मामलात विभाग	70.27	65.23	5.04
4.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	4,326.55	4,195.03	131.52
5.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	760.93	654.74	106.19
6.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	558.07	556.96	1.11
7.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	211.64	210.22	1.42
8.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	3,892.02	3,858.15	33.87
9.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	514.20	512.46	1.74
10.	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	1,837.14	1,801.85	35.29
11.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	220.55	90.30	130.25
12.	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	96.76	94.00	2.76
13.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	143.88	139.10	4.78
14.	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	407.52	399.86	7.66
15.	50- सहकारिता विभाग	1,589.48	1,588.22	1.26
16.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	5,466.54	5,378.55	87.99
17.	62- परिवहन विभाग	176.77	175.69	1.08
पूँजीगत दत्तमत				
18.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2,240.20	2,224.91	15.29
19.	41- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	1,516.27	1,509.44	6.83
20.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,262.44	3,260.62	1.82
21.	53- ग्रामीण विकास विभाग	466.07	457.29	8.78
	कुल	28,205.79	27,599.83	605.96

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 93)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	02- राज्य विधान मंडल	2075-800-13-01 आरटीडीसी लिमिटेड के माध्यम से-प्रतिबद्ध	1.20	₹ 1000	0.00
2.	04- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6004-09-101-02-13 राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना	39.97	39.97	0.00
3.	06- विधि एवं विधिक मामलात विभाग	4059-80-051-58-01 कार्यालय भवन का निर्माण	3.61	0.69	0.00
4.	08- सचिवालय	2251-190-01-01 कार्मिक विभाग-सामान्य	1.00	1.00	0.00
5.	16- राजस्व विभाग	4059-80-051-01-02 राजस्व मंडल के माध्यम से	2.00	0.00	0.00
6.	17- सामान्य प्रशासन विभाग	2070-003-05-01 सामान्य प्रशासन विभाग	10.00	0.50	0.00
7.	18- गृह विभाग	2055-115-03 फॉरेंसिक प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	2.50	0.95	0.00
8.		2070-107-03-01 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत शहरी नागरिक सुरक्षा के लिए राशि	2.19	₹ 4000	0.00
9.		4055-207-01-01 अपराध शाखा	1.20	₹ 2000	0.00
10.		4055-210-01-01 निर्माण कार्य	2.00	₹ 1000	0.00
11.		4059-80-051-56 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण	8.00	0.70	0.00
12.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	2202-01-001-03-01 प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	115.00	175.00	0.00
13.		4202-01-201-15-01 सरकारी स्कूलों में योजना के तहत पूंजीगत व्यय	57.17	57.17	0.00
14.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-107-15 राज्य प्रतिभा सोज परीक्षा छात्रवृत्ति	5.00	0.00	0.00
15.		2202-02-109-29-01 स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास	16.95	9.24	0.00
16.		2202-04-200-03 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन	5.00	0.00	0.00
17.		2202-04-200-06-01 साक्षरता विभाग के माध्यम से	7.78	1.94	0.00
18.		4202-01-202-21-01 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निर्माण कार्य	1.38	1.38	0.00
19.		4202-01-202-24-02 सैनिक स्कूल झुंझुनू में निर्माण कार्य	6.00	0.00	0.00
20.		4202-04-105-02-01 भवन	5.00	0.00	0.00
21.		2202-03-102-10 विधि विश्वविद्यालय को अनुदान	1.50	3.00	0.00
22.		2202-03-103-10-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	20.90	₹ 1000	0.00
23.		2202-03-103-17-01 कॉलेज शिक्षा विभाग के माध्यम से	40.00	₹ 5000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
24.	22- उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-195-01-01 नवीन राजकीय महाविद्यालय (सामान्य)	0.00	5.00	0.00
25.		2202-03-800-06-01 कॉलेज शिक्षा	5.00	0.10	0.00
26.		4202-01-203-07-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	21.08	3.78	0.00
27.		4202-01-203-12-01 निर्माण कार्य	10.00	₹ 1000	0.00
28.	24- तकनीकी शिक्षा विभाग	2203-800-04-01 उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	3.00	0.50	0.00
29.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	2205-102-35-01 महात्मा गांधी विद्यापीठ - गांधी अध्ययन केंद्र, जयपुर	6.30	0.50	0.00
30.		2205-102-35-02 गांधी दर्शन संग्रहालय, जयपुर	4.30	0.20	0.00
31.		4202-04-800-03-01 राजस्थान विरासत संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण	7.20	0.00	0.00
32.		4202-04-800-09-01 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में निर्माण कार्य	2.50	2.50	0.00
33.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2211-105-03-12 शुभ लक्ष्मी योजना	27.45	13.75	0.00
34.		2211-800-02-02 राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा (ईएमआरआई)	154.57	178.90	0.00
35.		4210-01-110-16-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	7.20	0.00	0.00
36.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	18.37	6.70	0.00
37.		2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	55.20	27.20	0.00
38.		2210-05-105-09-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	3.43	4.48	0.00
39.		2210-05-105-09-02 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	19.00	19.00	0.00
40.		4210-03-105-07-03 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2.25	0.10	0.00
41.		4210-03-105-11-01 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए पूंजीगत व्यय	128.30	93.00	0.00
42.		4210-03-105-13-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	6.15	0.00	0.00
43.		4210-03-105-14-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	2.34	2.74	0.00
44.		4210-03-105-15-06 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए पूंजीगत व्यय	11.70	0.00	0.00
45.		4210-03-105-16-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	4.35	₹ 2000	0.00
46.		4210-03-105-24-01 मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	19.20	7.00	0.00
47.	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	4210-03-101-01-90 निर्माण कार्य	4.59	0.10	0.00
48.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2029-796-01-01 भू-निपटान विभाग	2.22	2.22	0.00
49.		2070-796-01-01 सामान्य प्रशासन विभाग	3.00	0.15	0.00
50.		2202-01-796-16-01 प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	2.55	2.55	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
51.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2202-02-796-25-01 विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास	1.13	1.13	0.00
52.		2202-02-796-27-01 सहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता	1.40	1.40	0.00
53.		2202-02-796-11 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण	19.60	38.07	0.00
54.		2202-02-796-30-01 माध्यमिक शिक्षा	17.12	₹ 1000	0.00
55.		2202-03-195-01-03 नए सरकारी महाविद्यालय (टीएसपी)	3.00	0.69	0.00
56.		2202-03-796-10-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	2.33	₹ 1000	0.00
57.		2202-03-796-17-01 कॉलेज शिक्षा	76.70	₹ 1000	0.00
58.		2202-04-796-04 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन	1.40	0.00	0.00
59.		2202-04-796-07-01 साक्षरता विभाग के माध्यम से	1.20	0.30	0.00
60.		2210-05-796-07-01 सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर	5.25	₹ 1000	0.00
61.		2211-796-01-04 शुभ लक्ष्मी योजना	5.40	2.75	0.00
62.		2211-796-02-02 राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा योजना	28.70	33.25	0.00
63.		2217-05-190-02-10 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	1.35	0.40	0.00
64.		2217-05-190-02-25 राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (टीएसपी)	20.00	3.00	0.00
65.		2217-80-191-14-06 एसएफसी (टीएसपी) की सिफारिश के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान	2.73	2.59	0.00
66.		2217-80-191-50-18 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (टीएसपी) के लिए अनुदान	1.49	1.48	0.00
67.		2217-80-191-53-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	8.09	0.00	0.00
68.		2217-80-191-54-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	3.38	0.00	0.00
69.		2217-80-192-14-06 कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान एसएफसी (टीएसपी) की अनुशंसा	7.21	6.85	0.00
70.		2217-80-192-55-12 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (टीएसपी) के लिए अनुदान	13.59	13.59	0.00
71.		2217-80-192-57-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	18.87	0.00	0.00
72.		2217-80-192-60-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	2.00	0.00	0.00
73.		2217-80-192-61-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	3.00	3.00	0.00
74.		2225-02-796-02-16 आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.00	1.21	0.00
75.		2225-02-796-18-06 प्रशासन व्यय, प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं एम.आई.एस. के लिए अनुदान	1.35	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
76.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2225-02-796-25-01 विशेष केंद्रीय सहायता के तहत जनजाति विकास कार्यक्रम	70.11	40.00	0.00
77.		2230-01-796-07-01 आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर	3.00	0.00	0.00
78.		2230-01-796-09-01 आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर	4.00	0.01	0.00
79.		2230-03-796-09-01 तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर	2.00	0.00	0.00
80.		2236-02-796-03-01 एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जयपुर	3.00	0.00	0.00
81.		2245-80-796-01-01 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	67.40	0.67	0.00
82.		2245-80-797-01-03 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष (टीएसपी) के बजट शीर्ष 8235-00-200-09-01 में स्थानांतरण	67.40	0.67	0.00
83.		2401-796-74-02 सतत कृषि मिशन – मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	1.18	0.00	0.00
84.		2403-796-01-33 पशु रोग नियंत्रण योजना	6.52	1.52	0.00
85.		2403-796-13-01 पशुपालन विभाग के माध्यम से	9.00	₹ 2000	0.00
86.		2425-796-42-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (शीर्ष बैंक) के माध्यम से	5.04	5.04	0.00
87.		2425-796-44-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (शीर्ष बैंक) के माध्यम से	6.50	0.07	0.00
88.		2501-05-196-10-02 जल संरक्षण योजना (एसटी)	55.94	1.52	0.00
89.		2515-196-44-02 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	12.11	0.00	0.00
90.		2515-197-17-02 निष्पादन अनुदान (एसटी के लिए)	48.42	0.00	0.00
91.		2515-198-36-02 निष्पादन अनुदान (एसटी के लिए)	181.58	0.00	0.00
92.		2515-198-38-02 पंचायती राज विभाग के माध्यम से (एसटी के लिए)	5.00	0.00	0.00
93.		2515-796-03-01 ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से	20.00	0.00	0.00
94.		2851-796-05 राजस्थान स्यादी एवं ग्रामोद्योग के लिए अनुदान	4.00	1.49	0.00
95.		3454-02-796-13-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.00	0.00	0.00
96.		3454-02-796-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.40	0.00	0.00
97.		3454-02-796-18-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.00	0.00	0.00
98.		3456-796-04-01 मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन	150.00	0.00	0.00
99.		4059-80-796-11-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	32.50	11.30	0.00
100.		4059-80-796-04-02 अन्य भवन	12.60	7.00	0.00
101.		4202-01-796-04-90 निर्माण कार्य	16.17	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
102.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4202-01-796-16-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निर्माण कार्य	4.02	0.72	0.00
103.		4202-02-796-03-01 इंजीनियरिंग कॉलेज, बांसवाड़ा में निर्माण कार्य	2.20	0.00	0.00
104.		4210-01-796-05-90 निर्माण कार्य	11.25	0.00	0.00
105.		4210-01-796-09-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1.33	0.00	0.00
106.		4210-03-796-03-02 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज	3.61	0.00	0.00
107.		4210-03-796-04-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.10	1.10	0.00
108.		4210-03-796-05-03 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	29.91	29.91	0.00
109.		4210-03-796-05-06 नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूंजीगत व्यय	2.70	0.00	0.00
110.		4210-03-796-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	₹ 2000	0.00
111.		4210-03-796-08-04 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	43.00	26.88	0.00
112.		4210-03-796-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	₹ 1000	0.00
113.		4210-03-796-15-01 मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4.50	1.50	0.00
114.		4215-01-796-02-73 सिरोही जिले (शहरी भाग) के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. प्रदान की जाने वाली परियोजना	5.68	0.00	0.00
115.		4215-01-796-02-74 परवन अकावद पेयजल परियोजना जिला बांरा, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)	13.50	0.00	0.00
116.		4215-01-796-02-75 नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	7.69	0.00	0.00
117.		4215-01-796-02-77 चंबल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों (बेंगू, भैसरोड़गढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर एवं निम्बाहेड़ा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)	1.69	0.00	0.00
118.		4215-01-796-04-06 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-बी (नाबार्ड)	1.55	0.65	0.00
119.		4215-01-796-04-07 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-सी (नाबार्ड)	10.57	1.30	0.00
120.		4215-01-796-04-13 बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)	1.88	1.95	0.00
121.		4215-01-796-04-14 नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)	2.23	2.60	0.00
122.		4215-01-796-04-15 बाड़मेर जिले की शिव तहसील के लिए नर्मदा से जलापूर्ति योजना (नाबार्ड)	1.45	2.60	0.00
123.		4215-01-796-04-16 भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	7.10	3.25	0.00
124.		4215-01-796-04-21 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	1.52	2.60	0.00
125.		4215-01-796-04-28 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	23.00	19.50	0.00
126.		4215-01-796-04-30 चंबल-बिलवाड़ा पेयजल परियोजना –हिंडोली बूंदी जिले की नैनवां पेयजल	2.65	3.25	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
		परियोजना प्रथम चरण से			
127.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4215-01-796-04-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	28.42	0.65	0.00
128.		4215-01-796-04-32 जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रमुख पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग के माध्यम से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य	97.68	36.88	0.00
129.		4215-01-796-04-33 बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ कस्बे तथा श्री डूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर ब्लॉक के 108 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	6.49	0.00	0.00
130.		4215-01-796-04-34 बीकानेर जिले के साजवाला विधानसभा की पेयजल आपूर्ति परियोजना	2.89	2.60	0.00
131.		4215-01-796-04-35 चूरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, सरदारशहर के 60 गांव और चूरु-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग)	2.89	1.30	0.00
132.		4215-01-796-04-36 झालावाड़ जिले के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे और 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	1.17	1.30	0.00
133.		4215-01-796-04-38 जिले की शिवराज तहसील के 70 गांवों को जवाई बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए	1.02	1.95	0.00
134.		4215-01-796-04-39 जिले की क्षेत्रीय जलापूर्ति मेर हरलाया (भाग I) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए परियोजना	3.00	3.25	0.00
135.		4215-01-796-04-41 चंबल भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम और देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना,	4.37	2.60	0.00
136.		4215-01-796-04-42 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	4.76	2.60	0.00
137.		4215-01-796-04-44 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग-ए	7.71	1.95	0.00
138.		4215-01-796-04-46 कालीतीर जलापूर्ति योजना	3.30	0.00	0.00
139.		4215-01-796-04-47 चंबल नदी से अलवर और भरतपुर जिलों को सतही जलापूर्ति योजना	2.10	0.00	0.00
140.		4215-01-796-04-48 चंबल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती सतही जल आपूर्ति योजना	1.40	0.00	0.00
141.		4216-01-796-03-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	9.00	4.05	0.00
142.		4217-60-796-04-01 स्वायत्त शासन विभाग	15.80	0.00	0.00
143.		4217-60-796-09-02 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	47.18	0.00	0.00
144.		4217-60-796-15-01 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	3.00	0.00	0.00
145.		4225-02-796-11-17 सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य	5.00	0.00	0.00
146.		4225-02-796-20-10 जनरेटर सेट सहित कार्यालय भवन का नवीनीकरण एवं निर्माण	2.50	0.10	0.00
147.		4225-02-796-20-23 छात्रावास भवन में सोलर लाइट एवं पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण	2.00	0.00	0.00
148.		4225-02-796-20-35 आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना	2.50	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
149.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4225-02-796-29-01 विशेष केंद्रीय सहायता से आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सुविधाओं का विकास	105.16	60.00	0.00
150.		4250-796-04 विभाग के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए निर्माण कार्य	2.25	0.00	0.00
151.		4403-796-04-02 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी-XXVIII	7.00	0.00	0.00
152.		4403-796-06-01 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना	20.00	13.20	0.00
153.		4851-796-04-01 आयुक्त उद्योग विभाग	1.20	0.00	0.00
154.		5452-80-796-01 पर्यटक स्थलों का विकास	9.54	1.45	0.00
155.		5475-190-06-03 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (टी.एस.पी.)	7.00	0.07	0.00
156.		5475-796-08-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.40	0.00	0.00
157.		5475-796-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	5.00	0.00	0.00
158.		5475-796-19-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	5.00	0.00	0.00
159.		6801-796-04-02 राजस्थान अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली (के.एफ.डब्ल्यू) के वित्त हेतु हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना	9.52	₹ 2000	0.00
160.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2225-03-196-13-03 देवनारायण बालिका छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के लिए अनुदान	20.34	9.00	0.00
161.		2235-02-101-47-01 राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अंतर्गत संचालित योजनाएं	100.00	20.00	0.00
162.		2235-02-102-10-02 बाल गृह/क्रेच का संचालन	1.00	0.50	0.00
163.		2235-02-196-22-06 पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	5.50	5.50	0.00
164.		2235-60-200-26-01 विप्र कल्याण बोर्ड को अनुदान सहायता	1.20	0.76	0.00
165.		4225-80-800-02-90 निर्माण कार्य	5.00	₹ 1000	0.00
166.		4235-02-103-12 नारी निकेतन भवन का निर्माण	10.00	₹ 1000	0.00
167.		4235-02-800-10-01 रैंप एवं लिफ्ट आदि का निर्माण	2.00	3.08	0.00
168.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2236-02-101-01-12 राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण एवं पोषण योजना	25.40	16.86	0.00
169.		2236-02-101-04-01 एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जयपुर	12.00	0.00	0.00
170.	33- सैनिक कल्याण विभाग	4235-60-800-01-01 युद्ध विधवाओं के लिए छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्रों के भवनों का निर्माण	0.66	0.00	0.00
171.	34- श्रम एवं रोजगार विभाग	2230-03-102-03-01 तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर	6.50	0.00	0.00
172.		2230-01-103-12-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	13.00	0.00	0.00
173.		2230-01-103-14-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	16.00	0.07	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
174.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	2225-04-277-01-02 राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति	1.25	1.25	0.00
175.		2225-04-277-02-01 अल्पसंख्यक छात्राओं को स्कूटी का वितरण	13.95	17.39	0.00
176.		4225-04-800-01-03 अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण	1.50	0.00	0.00
177.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-02-101-16-06 आवश्यक वस्तुओं और स्वाध्यायन के लिए राहत	1.00	1.00	0.00
178.		2245-08-101-01-01 जन स्वास्थ्य	100.00	100.00	0.00
179.		2245-08-101-01-02 आग से सुरक्षा और बचाव	100.00	100.00	0.00
180.		2245-08-101-01-03 सूखे की रोकथाम और संरक्षण	100.00	100.00	0.00
181.		2245-08-101-01-04 बाढ़, ओलावृष्टि आदि से सुरक्षा और रोकथाम	135.60	135.60	0.00
182.		2245-80-797-01-01 प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा राहत कोष (सामान्य) के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में स्थानांतरण	343.45	3.43	0.00
183.	37- देवस्थान विभाग	4250-800-03 विभाग के माध्यम से तीर्थ यात्रियों के लिए निर्माण कार्य	2.00	0.15	0.00
184.	39- नगरीय विकास एवं आवास विभाग	4217-60-051-08-02 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	240.42	0.00	0.00
185.		4217-60-051-15-01 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	13.00	0.00	0.00
186.	40- स्वायत्त शासन विभाग	2217-05-190-02-08 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	6.87	2.06	0.00
187.		2217-05-190-02-11 कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	3.43	4.81	0.00
188.		2217-05-190-02-17 उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	4.81	2.75	0.00
189.		2217-05-190-02-20 भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	2.75	0.00	0.00
190.		2217-05-190-02-23 राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सामान्य)	50.00	13.50	0.00
191.		2217-80-191-14-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान (सामान्य)	13.89	13.19	0.00
192.		2217-80-191-50-16 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	7.57	7.57	0.00
193.		2217-80-191-52-01 चारदीवारी क्षेत्र में इमारतों का संरक्षण (सामान्य)	2.40	0.00	0.00
194.		2217-80-191-53-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	41.21	0.00	0.00
195.		2217-80-191-54-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	17.24	0.00	0.00
196.		2217-80-192-14-04 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन अनुदान-(सामान्य)	36.74	34.90	0.00
197.		2217-80-192-55-10 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	69.24	69.24	0.00
198.		2217-80-192-57-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	96.17	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
199.	40- स्वायत्त शासन विभाग	2217-80-192-60-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	5.00	0.00	0.00
200.		2217-80-192-61-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	13.00	13.00	0.00
201.		4217-60-051-05-01 स्वायत्त शासन विभाग	1.00	0.00	0.00
202.		4217-60-051-06-01 स्वायत्त शासन विभाग	68.41	0.00	0.00
203.	41-जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	4215-01-101-01-98 चकम बांध से इंद्रगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (शहरी)।	3.81	5.16	0.00
204.		4215-01-101-11-21 सिरोही जिले (शहरी भाग) के बत्तीसा नाला बांध से एफएचटीसी प्रदान की जाने वाली परियोजना	28.92	0.00	0.00
205.		4215-01-101-11-22 परवन अकावद पेयजल परियोजना जिला बांरा, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)	68.70	0.00	0.00
206.		4215-01-101-11-23 नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	39.13	0.00	0.00
207.		4215-01-101-11-25 चम्बल नदी (शहरी भाग) से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गाँवों (बेंगू, भैसरोडगढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर और निम्बाहेड़ा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना	7.41	0.00	0.00
208.		4215-01-102-99-03 जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियाँ	40.00	30.00	0.00
209.		4215-01-102-99-06 चूरु-झुंझुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना	4.98	10.35	0.00
210.		4215-01-102-99-08 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण -क्लस्टर भाग-बी (नाबार्ड)	8.45	3.45	0.00
211.		4215-01-102-99-09 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण -क्लस्टर भाग-सी (नाबार्ड)	65.85	6.90	0.00
212.		4215-01-102-99-10 ब्यावर-जवाजा क्लस्टर वितरण	3.97	12.17	0.00
213.		4215-01-102 -99-11 गागरिन पेयजल परियोजना	2.29	8.28	0.00
214.		4215-01-102-99-12 बारां क्लस्टर परियोजना	2.28	1.73	0.00
215.		4215-01-102-99-15 बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)	9.97	10.35	0.00
216.		4215-01-102-99-16 नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)	11.35	13.80	0.00
217.		4215-01-102-99-17 बाड़मेर जिले की शिव तहसील के लिए नर्मदा से जलापूर्ति योजना (नाबार्ड)	7.40	13.80	0.00
218.		4215-01-102-99-18 भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	37.42	17.25	0.00
219.		4215-01-102-99-23 निवाई और टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	7.72	13.80	0.00
220.		4215-01-102-99-24 बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	3.63	11.00	0.00
221.		4215-01-102-99-25 झुंझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चूरु-बिसाऊ परियोजना	3.22	20.70	0.00
222.		4215-01-102-99-26 बीसलपुर-चाकसू परियोजना	1.30	34.50	0.00
223.		4215-01-102-99-28 अंता-मांगरोल तहसील बारां की सोनवा पेयजल परियोजना	1.77	4.83	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
224.	41-जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	4215-01-102-99-30 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	116.79	103.50	0.00
225.		4215-01-102-99-31 जोधपुर के दांतीवाड़ा आईजीएनपी जल वितरण जलाशय से पाली जिले की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायतों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	1.46	6.90	0.00
226.		4215-01-102-99-32 चंबल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना – प्रथम चरण से बूंदी जिले की हिंडोली-नैनवां पेयजल परियोजना	14.25	17.25	0.00
227.		4215-01-102-99-33 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	144.64	3.45	0.00
228.		4215-01-102-99-35 बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ कस्बे तथा श्री डूंगरगढ़ और लूणकरणसर के 108 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना ब्लॉक	34.50	0.00	0.00
229.		4215-01-102-99-36 बीकानेर जिले के साजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना	15.33	13.80	0.00
230.		4215-01-102-99-37 चूरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, सरदारशहर के 60 गांव तथा चूरु-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग)	15.33	6.90	0.00
231.		4215-01-102-99-38 झालावाड़ जिले के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे तथा 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	5.96	6.90	0.00
232.		4215-01-102-99-39 सिरोही जिले के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की परियोजना	4.91	10.35	0.00
233.		4215-01-102-99-40 बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने, जिले की शिवगंज तहसील के जवाई बांध से 70 गांवों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराना	5.19	10.35	0.00
234.		4215-01-102-99-41 जोधपुर जिले की बी.एच.ई.आर. हरलाया (भाग-I) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	15.26	17.25	0.00
235.		4215-01-102-99-42 चित्तौड़गढ़ जिले के बांसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	3.87	1.38	0.00
236.		4215-01-102-99-43 चंबल भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम और देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	36.54	13.80	0.00
237.		4215-01-102-99-44 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	25.30	13.80	0.00
238.		4215-01-102-99-46 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग-ए	29.14	10.35	0.00
239.		4215-01-102-99-48 कालीतीर जलापूर्ति योजनाएं	16.40	0.00	0.00
240.		4215-01-102-99-49 चंबल नदी से अलवर और भरतपुर जिलों को सतही जलापूर्ति योजना	10.20	0.00	0.00
241.		4215-01-102-99-50 चंबल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती सतही जलापूर्ति योजना	6.80	₹ 1000	0.00
242.		4215-01-102-99-34 जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रमुख पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग के माध्यम से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य	497.08	195.73	0.00
243.		4215-01-102-99-05बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना	2.07	0.35	0.00
244.		4215-01-102-99-14 चंबल-भरतपुर क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग-II (नाबार्ड)	2.30	20.70	0.00
245.		4215-01-102-99-27 बीसलपुर फागी परियोजना	2.10	0.35	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
246.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-05-101-03-01 अन्य रस्तरसाव व्यय-प्रतिबद्ध	1.50	0.75	0.00
247.		2700-31-101-02-01 अन्य रस्तरसाव व्यय-प्रतिबद्ध	1.00	0.80	0.00
248.		2701-03-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	6.30	0.00	0.00
249.		4700-31-001-04-01 आधुनिकीकरण	10.00	0.00	0.00
250.		4701-03-001-02-01 निर्माण कार्य	5.00	0.00	0.00
251.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-102-28-01 वन विभाग	3.00	0.00	0.00
252.		2406-02-110-06 परिस्थितिकी पर्यटन का विकास	4.00	4.00	0.00
253.		3435-03-102-10-01 पर्यावरण विभाग के माध्यम से	1.00	0.01	0.00
254.		4406-01-070-02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के माध्यम से	25.00	0.00	0.00
255.		4406-02-110-16-01 विकास कार्य	5.00	5.00	0.00
256.	46- कृषि विभाग	2401-109-17-01 संचालन	5.00	0.00	0.00
257.		2401-109-19-01 कृषि विभाग के माध्यम से	5.00	0.00	0.00
258.		2401-196-06-43 जैविक कृषि के लिए सहायता	3.40	0.00	0.00
259.		2401-800-35-02 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	4.34	0.00	0.00
260.		4401-800-08-01 कृषि विभाग के माध्यम से	5.00	0.00	0.00
261.	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2403-101-17 पशु रोग नियंत्रण योजना (ए.एस.सी.ए.डी.)	34.17	11.22	0.00
262.		2403-102-30-01 निदेशक पशुपालन विभाग के माध्यम से	1.38	0.69	0.00
263.		2403-108-01-01 पशुपालन विभाग के माध्यम से	31.00	₹ 2000	0.00
264.		2403-109-04-01 विकास एवं विस्तार	4.00	₹ 4000	0.00
265.		2405-101-11-01 मत्स्य विकास	1.79	2.80	0.00
266.		4403-101-17-02 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ टी-XXVIII	16.00	0.00	0.00
267.		4405-101-08-01 मत्स्य विकास	1.87	1.87	0.00
268.	48- उद्यानिकी विभाग	2401-119-37 स्वचालन पर सहायता	5.72	5.72	0.00
269.		4401-119-05-01 उद्यानिकी विभाग के माध्यम से	30.00	₹ 1000	0.00
270.	49- गोपालन विभाग	2403-102-27-01 सॉर्टेड सीमन योजना से कृत्रिम गर्भाधान	10.00	10.00	0.00
271.	50- सहकारिता विभाग	2425-001-05-01 सहकारिता विभाग के माध्यम से	1.00	1.00	0.00
272.		2425-107-29-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक) के माध्यम से	27.17	27.17	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
273.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2029-789-01-01 भू-निपटान विभाग	2.93	2.93	0.00
274.		2070-789-01-01 सामान्य प्रशासन विभाग	7.00	0.35	0.00
275.		2202-02-789-09 अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण	25.20	49.35	0.00
276.		2202-02-789-19-01 विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास	3.62	2.27	0.00
277.		2202-03-195-01-02 नया सरकारी महाविद्यालय (एससीएसपी)	3.00	1.50	0.00
278.		2202-03-789-07-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	3.06	₹ 1000	0.00
279.		2202-04-789-04 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन	2.58	0.00	0.00
280.		2202-04-789-06-01 साक्षरता विभाग के माध्यम से	2.24	0.56	0.00
281.		2203-789-09-01 उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	1.80	0.10	0.00
282.		2210-05-789-07-01 सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	7.00	₹ 1000	0.00
283.		2210-05-789-08-01 सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	10.00	₹ 1000	0.00
284.		2211-789-01-04 शुभ लक्ष्मी योजना	7.15	3.50	0.00
285.		2211-789-02-02 राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा	37.53	43.47	0.00
286.		2217-05-190-02-09 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसपी)	1.78	0.54	0.00
287.		2217-05-190-02-18 उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसपी)	1.25	0.71	0.00
288.		2217-05-190-02-24 राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एससीएसपी)	30.00	3.50	0.00
289.		2217-80-191-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान (एससीएसपी)	3.60	3.43	0.00
290.		2217-80-191-50-17 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (एससीएसपी)	1.97	1.97	0.00
291.		2217-80-191-52-02 वारदीवारी क्षेत्र में भवनों का संरक्षण (एससीएसपी)	1.00	0.00	0.00
292.		2217-80-191-53-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	10.70	0.00	0.00
293.		2217-80-191-54-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	4.48	0.00	0.00
294.		2217-80-192-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान (एससीएसपी)	9.54	9.06	0.00
295.		2217-80-192-55-11 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (एससीएसपी)	17.97	17.97	0.00
296.		2217-80-192-57-02 स्थानीय निकाय विभाग	24.96	0.00	0.00
297.		2217-80-192-60-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	3.00	0.00	0.00
298.		2217-80-192-61-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	4.00	4.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
299.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-196-12 संबल गांवों के विकास के लिए अनुदान	9.50	9.50	0.00
300.		2225-01-789-22 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	70.08	0.08	0.00
301.		2225-01-789-27-01 अनुसूचित जाति की छात्राओं को स्कूटी वितरण	11.56	0.00	0.00
302.		2230-01-789-05-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	4.00	0.00	0.00
303.		2230-01-789-07-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	5.00	0.02	0.00
304.		2230-03-789-03-01 तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जयपुर	1.50	0.00	0.00
305.		2236-02-789-05-01 एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जयपुर	5.00	0.00	0.00
306.		2245-80-789-01-01 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	89.15	0.89	0.00
307.		2245-80-797-01-02 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष (एससीएसपी) के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में स्थानांतरण	89.15	0.89	0.00
308.		2401-789-07-02 सतत कृषि मिशन - मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	1.03	0.00	0.00
309.		2403-789-01-05 पशु रोग नियंत्रण योजना	10.45	3.27	0.00
310.		2403-789-01-12 पशुपालन विभाग के माध्यम से	10.00	₹ 2000	0.00
311.		2425-789-13-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक) के माध्यम से	6.60	6.60	0.00
312.		2425-789-15-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक) के माध्यम से	8.50	0.09	0.00
313.		2501-05-196-10-03 जल संचय योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)	73.99	2.01	0.00
314.		2515-196-44-03 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)	16.15	0.00	0.00
315.		2515-197-17-03 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)	64.56	0.00	0.00
316.		2515-198-36-03 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)	242.11	0.00	0.00
317.		2515-198-38-01 पंचायती राज विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जातियों के लिए)	5.00	0.00	0.00
318.		2515-789-03-01 ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से	30.00	0.00	0.00
319.		2851-789-03 राजस्थान स्यादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	6.00	2.24	0.00
320.		2852-80-789-20-02 ब्याज अनुदान	3.00	0.50	0.00
321.		3454-02-789-13-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.30	0.00	0.00
322.		3454-02-789-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.80	0.00	0.00
323.		3454-02-789-18-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.00	0.00	0.00
324.		3454-02-789-21-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.20	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
325.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3456-789-04-01 मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन	200.00	0.00	0.00
326.		3475-789-02-01 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सहायता	6.00	0.09	0.00
327.		4059-80-789-03-02 अन्य भवन	16.20	9.00	0.00
328.		4202-01-789-11-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	5.02	0.90	0.00
329.		4202-01-789-01-90 निर्माण कार्य	21.07	0.00	0.00
330.		4059-80-789-09-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	42.50	15.00	0.00
331.		4210-01-789-03-90 निर्माण कार्य	15.00	0.00	0.00
332.		4210-01-789-07-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	1.74	0.00	0.00
333.		4210-03-789-03-02 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज	4.77	0.00	0.00
334.		4210-03-789-04-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.22	1.22	0.00
335.		4210-03-789-05-03 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	7.00	7.00	0.00
336.		4210-03-789-05-06 नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूंजीगत व्यय	3.60	0.00	0.00
337.		4210-03-789-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	₹ 2000	0.00
338.		4210-03-789-08-04 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	10.00	10.00	0.00
339.		4210-03-789-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	₹ 1000	0.00
340.		4210-03-789-15-01 मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	5.30	1.50	0.00
341.		4215-01-789-02-73 सिरोही जिले (शहरी भाग) के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी उपलब्ध करने वाली परियोजना	7.49	0.00	0.00
342.		4215-01-789-02-74 परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बारां, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)	17.80	0.00	0.00
343.		4215-01-789-02-75 नवनेरा जलप्रदाय परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	10.14	0.00	0.00
344.		4215-01-789-02-77 चम्बल नदी (शहरी भाग) से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों (बेंगू, भैसरोड़गढ़ एवं निम्बाहेड़ा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना	2.02	0.00	0.00
345.		4215-01-789-03-04 चूरू-झुंझनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना	1.30	2.70	0.00
346.		4215-01-789-03-06 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-बी (नाबार्ड)	2.15	0.90	0.00
347.		4215-01-789-03-07 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-सी (नाबार्ड)	14.13	1.80	0.00
348.		4215-01-789-03-08 क्लस्टर वितरण ब्यावर-जवाजा	1.03	3.15	0.00
349.		4215-01-789-03-14 नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)	2.95	3.60	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
350.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-13-15 बाड़मेर जिले की शिव तहसील के लिए नर्मदा से जलापूर्ति योजना (नाबार्ड)	1.92	3.60	0.00
351.		4215-01-789-03-16 भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	10.25	4.50	0.00
352.		4215-01-789-03-21 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	2.00	3.60	0.00
353.		4215-01-789-03-28 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	30.30	27.00	0.00
354.		4215-01-789-03-30 चंबल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना — प्रथम चरण से बूंदी जिले की हिंडोली-नैनवां पेयजल परियोजना	3.46	4.50	0.00
355.		4215-01-789-03-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	37.47	0.90	0.00
356.		4215-01-789-03-32 जल जीवन मिशन पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत रेड्रोफिटिंग के माध्यम से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य	128.80	51.05	0.00
357.		4215-01-789-03-33 श्री डूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर ब्लॉक के डूंगरगढ़ कस्बे की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	9.00	0.00	0.00
358.		4215-01-789-03-34 बीकानेर जिले के साजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना	4.00	3.60	0.00
359.		4215-01-789-03-35 चूरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, सरदारशहर के 60 गांव और चूरु-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग)	4.00	1.80	0.00
360.		4215-01-789-03-36 झालावाड़ के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे एवं 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	1.55	1.80	0.00
361.		4215-01-789-03-37 सिरोही जिले के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की परियोजना	1.28	2.70	0.00
362.		4215-01-789-03-38 बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने, जिले की शिवगंज तहसील के जवाई बांध से 70 गांवों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराना	1.35	2.70	0.00
363.		4215-01-789-03-39 जोधपुर जिले की बीएचईआर हरलाया (भाग-I) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	3.96	4.50	0.00
364.		4215-01-789-03-40 चित्तौड़गढ़ जिले के बांसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	1.00	0.36	0.00
365.		4215-01-789-03-41 चंबल भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम और देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	9.53	3.60	0.00
366.		4215-01-789-03-42 बीकानेर जिले की नोसा तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	6.60	3.60	0.00
367.		4215-01-789-03-44 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण भाग ए	7.71	2.70	0.00
368.		4215-01-789-03-46 कालीतीर जलापूर्ति योजनाएँ	4.30	0.00	0.00
369.		4215-01-789-03-47 चंबल से अलवर और भरतपुर जिलों के लिए सतही जलापूर्ति योजना	2.70	0.00	0.00
370.		4215-01-789-03-48 चंबल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती सतही जलापूर्ति योजना	1.80	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
371.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4216-01-789-01-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	11.00	5.40	0.00
372.		4217-60-789-04-01 स्वायत्त शासन विभाग	23.03	0.00	0.00
373.		4217-60-789-09-02 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	62.41	0.00	0.00
374.		4217-60-789-15-01 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	4.00	0.00	0.00
375.		4403-789-04-02 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी-XXVIII	7.00	0.00	0.00
376.		4851-789-04-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	2.30	0.00	0.00
377.		5475-190-06-02 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (एससीएसपी)	9.00	0.09	0.00
378.		5475-789-08-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.22	0.00	0.00
379.		5475-789-11-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.06	0.00	0.00
380.		5475-789-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	7.00	0.00	0.00
381.		5475-789-19-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	10.00	0.00	0.00
382.		6801-789-04-02 राजस्थान अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली (के.एफ.डब्ल्यू) के वित्त हेतु हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना	12.24	₹ 2000	0.00
383.	52- पंचायती राज विभाग	2501-05-196-08-03 राजीव गांधी जलसंचय योजना	300.00	₹ 1000	0.00
384.		2515-196-44-01 निष्पादन अनुदान	61.42	0.00	0.00
385.		2515-197-17-01 निष्पादन अनुदान	245.70	0.00	0.00
386.		2515-198-36-01 निष्पादन अनुदान	921.35	0.00	0.00
387.	53- ग्रामीण विकास विभाग	2515-800-09-01 ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से	50.00	0.00	0.00
388.	54- ऊर्जा विभाग	6801-190-02-02 राजस्थान अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली (के.एफ.डब्ल्यू) के वित्त हेतु हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना	46.24	₹ 2000	0.00
389.	55- स्टाट, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	3456-102-09-01 मुख्यमंत्री निशुल्क राशन	650.00	0.00	0.00
390.	56- उद्योग विभाग	2851-105-01 राजस्थान सदी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	6.00	2.24	0.00
391.		2852-80-102-28-01 उद्यानिकी विभाग के माध्यम से	3.85	1.75	0.00
392.		2852-80-190-04-01 रीको को सहायता	89.00	39.00	0.00
393.		4851-102-02-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	5.50	0.00	0.00
394.		4851-104-02-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	2.30	2.30	0.00
395.		4851-200-03-90 निर्माण कार्य	1.80	0.00	0.00
396.	58-स्नान विभाग	4853-01-004-06-90 निर्माण कार्य	9.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
397.	59-पर्यटन विभाग	3452-80-800-13-01 पर्यटन विभाग के माध्यम से	10.00	1.00	0.00
398.	60-सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3454-02-203-01-19 ई-संचार	1.66	0.00	0.00
399.		3454-02-203-06-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.63	0.00	0.00
400.		3454-02-203-08-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	6.50	0.00	0.00
401.		3454-02-203-11-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	6.80	0.00	0.00
402.		3454-02-203-12-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.40	0.00	0.00
403.		3454-02-203-13-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	10.00	0.00	0.00
404.		3454-02-203-15-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.20	0.00	0.00
405.		3454-02-203-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.00	0.00	0.00
406.		5475-190-06-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	34.00	0.34	0.00
407.		5475-800-08-12 स्वान हॉरिजॉन्टल	1.36	0.00	0.00
408.		5475-800-08-27 जी.आई.एस.	57.25	16.28	0.00
409.		5475-800-08-35 संपर्क केंद्र संचालन	1.80	3.52	0.00
410.		5475-800-21-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	12.08	0.00	0.00
411.		5475-800-24-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	4.00	0.00	0.00
412.		5475-800-28-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	23.00	0.00	0.00
413.		5475-800-31-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	30.00	0.00	0.00
		कुल	10,323.77		

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 94)

ऐसे मामले जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	2023-24	2022-23	2021-22
1.	02-राज्य विधानमण्डल	2011-02-101-03 उपसभापति द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि-प्रतिबद्ध	0.01	0.01	0.01
2.	07-मंत्रिपरिषद्	2013-800-05 मंत्रियों के आवासीय आवासों का किराया – प्रतिबद्ध	0.15	0.14	0.05
3.	28-चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-13-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	6.15	7.28	5.00
4.		4210-03-105-16-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	4.35	4.35	2.00
5.	30-जनजाति क्षेत्रीय विभाग	3425-01-796-04 औद्योगिक जागरूकता	0.02	0.02	0.02
6.		3425-01-796-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.01	0.02	0.02
7.		3425-01-796-06 जैव प्रौद्योगिकी	0.01	0.01	0.01
8.		4210-03-796-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	1.50	1.50
9.		4210-03-796-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	10.00	10.00
10.		4215-01-796-04-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	28.42	24.93	0.27
11.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-102-10-02 शिशु गृह/क्रेच का संचालन	1.00	1.20	1.70
12.		4235-02-800-10-01 रैंप और लिफ्ट आदि का निर्माण	2.00	2.00	2.00
13.	36- प्राकृतिक आपदा एवं राहत विभाग	2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों के आपदा प्रबंधन केंद्रों को सहायता	0.40	1.00	1.00
14.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-33-001-01-01 निर्माण कार्य	0.05	0.05	0.05
15.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2250-789-01-01 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना	0.16	0.16	0.15
16.		2810-789-02-01 जैव ईंधन प्राधिकरण - मुख्यालय	0.03	0.15	0.15
17.		3425-01-789-02 विज्ञान और समाज	0.05	0.05	0.05
18.		3425-01-789-04 औद्योगिक जागरूकता	0.04	0.04	0.04
19.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.02	0.04	0.04
20.		3425-01-789-06 जैव प्रौद्योगिकी	0.01	0.01	0.01
21.		4210-03-789-04-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.22	1.22	1.50
22.		4210-03-789-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	1.50	1.50
23.		4210-03-789-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	10.00	10.00
24.		4215-01-789-03-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	37.47	34.55	0.36
		कुल	122.57	100.23	37.43

स्रोत: विनियोग लेख

परिशिष्ट-3.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 94)

अ. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव

विभाग का नाम	बजट भाषण संख्या	भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	145	राज्य सरकार ने शहरी नियोजन, वन निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यटन, स्नान एवं भूविज्ञान आदि क्षेत्रों में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए ₹ 450 करोड़ की लागत से 2000 पायलट ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि ड्रोन की आवश्यकता के लिए विभागों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण बजट प्रावधान में कटौती की गई और संशोधित अनुमान 2023-24 में केवल प्रतीकत्वाक प्रावधान किये गये।
स्वाद्य एवं आपूर्ति विभाग	63(V)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि जयपुर में ₹20 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय सुविधा एवं मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि ₹ 20 करोड़ के बजट आवंटन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है तथा निर्माण के लिए भारत सरकार से ₹ 32.11 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की मांग नोडल एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार भी की गई है।
अल्पसंख्यक मामलात विभाग	75(II)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के माध्यम से विविध कार्यों के लिए ₹ 50 करोड़ खर्च किये जायेंगे।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया था परन्तु आचार संहिता लगने के कारण मंजूरी नहीं मिल पाई। इसलिए, घोषणा का क्रियान्वयन नहीं हो सका।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	74(I)	राज्य सरकार ने ₹ 25 करोड़ की लागत से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के अंतर्गत सहायक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शुरू नहीं हो सकी क्योंकि भूमि आवंटन का प्रस्ताव जेडीए के पास प्रगति पर है।
	74(II)	राज्य सरकार ने जोधपुर में ₹ 25 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि भूमि आवंटित कर दी गई है लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई है।
पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग	123	राज्य सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर शहरों में ₹ 400 करोड़ की लागत से एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी) केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि एमआईसीई की स्थापना के संबंध में शहरवार प्रगति इस प्रकार दी गई है- जोधपुर-वित्त विभाग द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। उदयपुर-यूआईटी द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। अजमेर- भूमि आवंटन हेतु राजस्व विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। जयपुर- भूमि आवंटन के लिए जेडीए को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। हालाँकि, कोई भौतिक प्रगति सूचित नहीं की गई।
	124	राज्य सरकार ने माउंट आबू-सिरोही, जोधपुर और उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ₹125 करोड़ की लागत से गोल्फ कोर्स विकसित करने की घोषणा की है।	विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि गोल्फ कोर्स के विकास के तहत प्रगति इस प्रकार है - उदयपुर-यूआईटी द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। जोधपुर-भूमि आवंटन का प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए गया। अजमेर-चारागाह भूमि के संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया गया गया है। माउंट आबू-अभी तक जमीन आवंटित नहीं की गई है।
उद्योग विभाग	87	राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की घोषणा की गई, जिसके लिए आगामी वर्ष में औद्योगिक क्षेत्रों में ₹ 400 करोड़ से अधिक के विकास कार्य कराने का प्रस्ताव रखा।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि राशि ₹ 279.89 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही फिनटेक पार्क, जयपुर के विकास के लिए राशि ₹ 55.01 करोड़ का कार्य आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें से ₹ 1.20 करोड़ खर्च हो चुके हैं और परियोजना को रोक दिया गया है तथा राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पुनः डिजाइन किया जा रहा है।

विभाग का नाम	बजट भाषण संख्या	भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
उद्योग विभाग	91(I)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि रीको औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों को सुविधा देने के लिए ₹ 200 करोड़ की लागत से सह-कार्यस्थल और कार्यशालाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि संशोधित योजना के अनुसार गोगेलाव में सह-कार्य स्थल की स्थापना के लिए रीको मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। हालाँकि, यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि उद्योगपतियों द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई।
	91(II)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि राजसिको उद्यमियों की सुविधा हेतु ₹ 125 करोड़ की लागत से जयपुर में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ 'विश्वकर्मा एसएमई टॉवर' विकसित करेगी।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि एमएसएमई टॉवर के लिए भूमि रूपांतरण रीको के साथ प्रक्रियाधीन है और विभाग को कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।
युवा एवं खेल विभाग	46(I)	राज्य सरकार ने विभिन्न 27 स्पर्डों में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है।	विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2024) कि एक स्पर्ड में काम पूरा हो चुका है, 12 स्पर्डों में काम प्रक्रियाधीन है तथा 14 में से सात स्पर्डों में भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर को पत्र जारी कर दिया गया है।

ब. विगत वर्षों के बजट भाषण में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव

विभाग का नाम	बजट भाषण वर्ष	बजट का अनु. सं.	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा क्रियान्वयन न होने के सूचित किए गए कारण
उद्योग विभाग	2020-21	94	राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 64 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि 15 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर दिए गए हैं, 10 उप-मंडलों में भूमि आवंटित कर दी गई है तथा शेष 39 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अभी लंबित है।
उद्योग विभाग	2022-23	49	राज्य सरकार ने दूसरे चरण में 32 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि 9 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर दिया गया है, 10 उप-मंडलों में भूमि आवंटित कर दी गई है तथा शेष 13 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना लंबित है।
परिवहन विभाग	2020-21	134	राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क की स्थापना पर ₹16.50 करोड़ खर्च करने की राज्य सरकार ने घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया कि (अगस्त 2024) 33 जिलों में से 9 जिलों में भूमि विवाद/आवंटन नहीं होने या अन्य कारणों से काम शुरू नहीं किया जा सका।
परिवहन विभाग	2021-22	166	राज्य सरकार ने बस सेवा से वंचित लगभग 6000 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि घोषणा का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि मामला राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए लंबित है।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग	2017-18	65	राज्य सरकार ने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण (एएसआई) की सहमति एवं साझेदारी से चित्तौड़गढ़ किला विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद अभी तक प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है।
कृषि विभाग	2021-22	72	राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आगामी वित्तीय वर्ष में पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा जिलों में ₹ 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मथानिया-जोधपुर में करीब ₹ 100 करोड़ की	विभाग ने बताया (नवंबर 2024) कि पाली में भूमि आवंटन निरस्त कर दिया गया है, जैसलमेर में भूमि उपलब्ध नहीं है तथा मथानिया-जोधपुर में भूमि आवंटन न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।

विभाग का नाम	बजट भाषण वर्ष	बजट का अनु. सं.	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा कार्यान्वयन न होने के सूचित किए गए कारण
			लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा।	
कृषि विभाग	2021-22	73	राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए राशि रुपये ₹ 60 करोड़ की लागत से अगनावा-जोधपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि ₹20.74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और कार्य अभी भी प्रगति पर है।
कृषि विभाग	2022-23	147	राज्य सरकार ने घोषणा की कि आने वाले वर्ष में करावन (पचपहाड़)-झालावाड़, मांडल-भीलवाड़ा, सटोती (नदबई)-भरतपुर, कोटा, सोनवा-टोंक, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर और उदयपुर जिलों में राशि ₹ 220 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही चैनपुरा (निवाई)-टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाया जायेगा।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि सोनवा-टोंक में मिनी फूड पार्क में ₹ 50.01 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 33.34 करोड़ खर्च किए गए हैं। शेष मिनी फूड पार्कों के कार्यों की स्थिति विभाग द्वारा सूचित नहीं की गई है।
कृषि विभाग	2022-23	150	राज्य सरकार ने अधीनस्थ मंडी परिसर चांदन-जैसलमेर, लोहावट, आठ, देवुन-जोधपुर, पूगल-बीकानेर, हिंडोली-बूंदी, समरानिया, नाहरगढ़-बारां, रावतभाटा-चित्तौड़गढ़ और तुंगा-जयपुर में ₹100 करोड़ की लागत से बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि लोवाहाट, पूगल, हिंडोली, नाहरगढ़ और तुंगा मंडी में काम पूरा हो चुका है और चांदन, आठ, समरानिया में काम चल रहा है। हालांकि, देवू और रावतभाटा मंडी में कोई काम नहीं हुआ है।
राजस्व, उपनिवेशन एवं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग	2022-23	121	राज्य सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर में सैनिक कल्याण भवन बनाने की घोषणा की है। इसके लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग	2022-23	21	राज्य सरकार ने आयुष सुविधाओं (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी) से वंचित उन 19 ब्लॉकों में आयुष अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की। इन पर करीब ₹ 20 करोड़ खर्च किये जाने थे।	विभाग ने बताया (नवंबर 2024) कि 19 में से 16 ब्लॉकों में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। प्रत्येक ब्लॉक के लिए ₹ 45 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नवंबर 2024 में जारी की गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2022-23	59	राज्य सरकार ने बेघरों के उत्थान एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत आगामी वर्ष में ₹ 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि नया बजट हेड स्पॉलने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-3.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 95)

व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
1.	03-ब्याज अदायगी	2049-03-104-02 अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	128.14	128.14	128.21	99.94	99.94
2.		2049-05-105-01 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की जमा राशियों पर ब्याज-प्रतिबद्ध	299.47	299.47	299.47	100	100
3.		2049-60-101-01 ट्रस्ट निधि पर ब्याज- प्रतिबद्ध	125.87	125.87	127.09	99.04	99.04
4.		2049-60-101-04 राज्य औद्योगिक एवं सनिज विकास निगम लिमिटेड की जमा राशियों पर ब्याज	57.31	57.31	57.31	100	100
5.		2049-60-701 विविध	51.05	51.05	51.05	100	100
6.	04-सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	6003-106-04 उदय योजना के तहत जब्त बांड और गैर-एस.एल.आर. बांड जारी करना	4323.82	4149.95	6905.75	62.61	60.09
7.	06-विधि एवं विधिक मामलात विभाग	4059-80-051-03 सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)	62.45	56.83	92.10	67.81	61.72
8.	13-कोष एवं लेखा प्रशासन	2075-797-01 शीर्ष 8235-117 गारंटी मोचन निधि में स्थानांतरण -प्रतिबद्ध	906.03	906.03	906.03	100.00	100.00
9.	14-राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग	2210-06-800-09 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021	522.12	131.72	912.13	57.24	14.44
10.	27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	4210-02-110-01 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	179.19	54.39	318.28	56.30	17.09
11.	28-चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-11 नये मेडिकल कॉलेज	179.94	49.63	323.44	55.63	15.34
12.	30-जनजातिय क्षेत्र विभाग	2210-06-796-18 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, 2021	120.00	300.00	210.00	57.14	14.29
13.		2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास	198.17	198.17	198.17	100	100
14.		2236-02-796-01 एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग के माध्यम से	190.41	15.96	209.41	90.92	07.62
15.		2401-196-07 जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत जिला स्तरीय स्थापना व्यय हेतु	50.05	39.80	73.43	68.16	54.21
16.		2401-796-28 फसल बीमा (50% राज्य अंश: 50% केन्द्रीय अंश)	126.29	69.64	252.37	50.04	27.06
17.		2403-796-04 गोपालन विभाग	117.35	16.27	164.16	71.48	09.91
18.		2425-796-45 मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना	62.52	46.82	98.10	63.73	47.73
19.		2515-198-35 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य मूल अनुदान	195.63	59.83	345.39	56.64	17.32
20.		2801-80-796-12 विद्युत वितरण निगम को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान (टैरिफ अनुदान)	259.91	115.88	259.91	100	44.58

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
21.	30-जनजातिय क्षेत्र विभाग	3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि में स्थानांतरण	426.14	426.14	426.14	100	100
22.		4210-02-796-05 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	57.71	34.92	83.94	68.76	41.61
23.		4225-02-796-11 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि के लिए योजनाएं(एससीए)	86.90	86.90	100.45	86.51	86.51
24.		4700-44-796-01 निर्देशन एवं प्रशासन	161.03	116.77	205.28	78.44	56.88
25.		4700-45-796-01 निर्देशन एवं प्रशासन	50.69	44.88	64.37	78.74	69.72
26.		4700-80-796-02 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से	69.30	45.60	119.72	57.89	38.09
27.		4702-796-16 सौर ऊर्जा पर आधारित लघु सिंचाई परियोजना	57.95	44.73	62.94	92.06	71.07
28.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-102-10 बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से	53.32	15.92	83.30	64.01	19.11
29.		4235-02-800-04 वृद्धाश्रम भवन का निर्माण	55.00	55.00	110.00	50	50
30.	36-आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	2245-02-114-10 लघु एवं सीमांत किसानों को छोड़कर अन्य किसानों को फसलों के नुकसान के लिए कृषि आदान अनुदान	375.78	365.75	680.58	55.21	53.74
31.	40-स्वायत्त शासन विभाग	2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	98.00	98.00	98.00	100	100
32.		2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	763.50	763.50	763.50	100	100
33.		2217-80-797-04 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	68.69	68.69	68.69	100	100
34.		4217-60-051-09 अटल कायाकल्प और शहरी परिवहन मिशन (अमृत) 2.0	204.84	147.84	237.67	86.19	62.21
35.		5055-190-02 राजस्थान अवसंरचना परिवहन विकास निधि	311.47	207.72	622.72	50.02	33.36
36.	41-जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	4215-01-101-11 त्वरित शहरी जल आपूर्ति योजना	311.04	226.31	557.72	55.77	40.58
37.	42-जल संसाधन एवं इंद्रिा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-04-001-09 लिफ्ट नहरों (स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का विकास) पर कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.)	53.15	30.17	105.00	50.62	28.74
38.		3054-04-800-01 जिला सड़कों का रखरखाव और जीर्णोद्धार	63.12	41.50	116.11	54.36	35.74
39.		3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	186.91	106.21	320.68	58.29	33.12
40.		3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि में स्थानांतरण	2313.42	2313.42	2313.42	100	100
41.		5054-04-337-19 पूँजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य	269.92	269.92	269.92	100	100
42.	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-04-800-22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्त पोषित सड़कें	215.42	61.55	307.75	70	20
43.	46-कृषि विभाग	2401-110-02 फसल बीमा एजेंसी, कृषि विभाग के माध्यम से (50% राज्य हिस्सा: 50% केंद्रीय हिस्सा)	822.41	356.08	1501.09	54.79	23.72

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
44.	46-कृषि विभाग	2401-196-06 जिला स्तरीय कृषि योजनाएँ	244.94	209.85	316.99	77.27	66.20
45.		2401-800-02 जल योजना के लिए अनुदान सहायता	96.99	96.59	96.99	100	99.58
46.	48-उद्यानिकी विभाग	2401-119-02 बागवानी का विकास	85.60	82.22	100.91	84.83	81.48
47.		2401-119-47 सूक्ष्म सिंचाई के लिए अतिरिक्त अनुदान (एम.आई.एफ.-नाबार्ड)	128.25	95.06	184.48	69.52	51.53
48.	50-सहकारिता विभाग	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	75.44	75.44	75.44	100	100
49.		2425-107-25 कोर बैंकिंग	56.65	23.27	81.12	69.84	28.68
50.		2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणधारकों को ब्याज अनुदान	154.03	154.03	154.03	100	100
51.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2210-06-789-13 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, 2021	160.00	40.00	280.00	57.14	14.29
52.		2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	149.82	149.82	149.82	100	100
53.		2401-196-08 विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजना	68.31	57.25	98.14	69.60	58.34
54.		2401-789-01 कृषि विभाग के माध्यम से	202.75	99.51	367.94	55.01	27.05
55.		2425-789-16 मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट	148.41	126.69	221.33	67.05	57.24
56.		2515-197-16 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत पंचायत समिति के लिए सामान्य मूल अनुदान	69.56	21.28	122.88	56.61	17.32
57.		2515-198-35 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य मूल अनुदान	260.84	79.78	460.53	56.64	17.32
58.		2801-80-789-12 विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान (टैरिफ अनुदान)	352.74	157.26	352.74	100	44.58
59.		3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि में स्थानांतरण	650.56	650.56	650.56	100	100
60.		4210-03-789-09 नए मेडिकल कॉलेज	59.51	59.40	117.55	50.62	50.54
61.		4217-60-789-12 प्रधानमंत्री आवास योजना	64.51	28.84	122.14	52.81	23.61
62.		4700-04-789-01 मुख्य अमियता इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से	56.01	35.87	107.83	51.95	33.36
63.		4700-32-789-01 निर्माण कार्य	67.39	31.50	109.79	61.38	28.69
64.		5054-03-789-16 पूँजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य	56.49	56.49	56.49	100	100
65.		5054-04-789-13 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्त पोषित सड़क	55.92	15.98	79.88	70	20
66.		5054-04-789-20 पूँजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य	61.87	61.87	61.87	100	100
67.	52- पंचायती राज विभाग	2501-05-196-07 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड घटक	85.09	32.33	85.09	100	38

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
68.	52- पंचायती राज विभाग	2515-196-39 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	56.86	17.29	84.59	67.21	20.44
69.		2515-196-43 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य मूल अनुदान	66.18	20.25	116.91	56.61	17.32
70.		2515-197-05 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायत समिति के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)	152.52	13.44	152.52	100	8.81
71.		2515-197-16 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य मूल अनुदान	264.72	80.98	467.63	56.61	17.32
72.		2515-198-35 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्राम पंचायत के लिए सामान्य मूल अनुदान	992.62	303.60	1752.31	56.65	17.33
73.	54- ऊर्जा विभाग	2801-80-190-50 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों से राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता	75.80	75.80	75.80	100	100
74.		2801-80-190-55 विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान (टैरिफ अनुदान)	1243.88	554.57	1243.88	100	44.58
75.	55- स्टाट, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-102-02 स्टाट वितरण	56.80	56.80	82.80	68.60	68.60
76.	58- स्नान विभाग	2853-02-797-03 स्नान क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि के माध्यम से संचालित योजनाएँ	50.00	50.00	50.00	100	100
77.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3454-02-203-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	218.09	173.21	362.40	60.18	47.79
78.		5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	126.99	126.99	159.04	79.85	79.85
		कुल	21947.57	16714.10	30153.21		

परिशिष्ट 3.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 97)

जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ

श्रेणी-अ योजनाएँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
01.	कॉलेज शिक्षा विभाग	राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना (2364)	1953.87	1953.87	0.00
02.	डॉ. सम्पूर्णानंद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एलाइड मेडिसिन	पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी (2940)	2900.00	2900.00	0.00
03.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर	बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय (35)	0.03	0.03	0.00
04.	परिवार कल्याण विभाग जयपुर	शुभलक्ष्मी योजना (2153)	4000.00	4000.00	0.00
		मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना (3017)	0.06	0.06	0.00
05.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) (1072)	2540.00	2540.00	0.00
06.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	नारी निकेतन भवन (1228)	1000.01	1000.01	0.00
		उज्ज्वला योजना (2557)	0.02	0.02	0.00
		कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	1156.14	1156.14	0.00
		अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास भवन का निर्माण (3037)	0.02	0.02	0.00
		अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास भवन का निर्माण (3040)	0.02	0.02	0.00
07.	महिला अधिकारिता विभाग	एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (981)	0.10	0.10	0.00
		धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र (1765)	0.05	0.05	0.00
		वन स्टॉप केन्द्र (2493)	0.06	0.06	0.00
		चिराली योजना (2494)	0.06	0.06	0.00
		महिला शक्ति केंद्र (2702)	0.24	0.24	0.00
08.	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	930.00	930.00	0.00
09.	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत माडा क्षेत्र के महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोत्साहन (1567)	0.01	0.01	0.00
		जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत माडा क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोत्साहन (1569)	0.01	0.01	0.00
		जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत समूह क्षेत्रों में महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक (1581)	0.01	0.01	0.00
		जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत समूह क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक प्रदान किया गया (1582)	0.01	0.01	0.00
		सहरिया जनजाति के लिए एएनएम को प्रशिक्षण हेतु सहायता (1585)	0.01	0.01	0.00
		बिस्मरे हुए क्षेत्रों में महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक (1600)	0.01	0.01	0.00
		बिस्मरे हुए क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक (1601)	0.01	0.01	0.00
10.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	संपर्क केंद्र संचालन (2276)	264.03	232.35	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
11.	पुलिस विभाग	निर्भया फंड से संचालित योजना (2867)	0.02	0.02	0.00
12.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग	निर्भया फंड से संचालित योजना (2781)	1614.32	1452.89	0.00
कुल			16,359.12	16,166.01	0.00

श्रेणी ब योजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
01.	साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर (03)	3. साक्षर भारत अभियान (1047)	0.06	0.04	0.00
02.	एसपी चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, बीकानेर (04)	1 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र (2607)	650.00	260.09	0.00
		2 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना (2608)	473.80	142.14	0.00
		3 पीएमएसवाई तहत चिकित्सा महाविधालय का उन्नयन तृतीय चरण (2699)	0.06	0.02	0.00
03.	आरएनटी चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, उदयपुर (06)	अस्पताल कॉलेज, उदयपुर में अन्य व्यय (846)	225.01	106.56	0.00
		10. पीएमएसवाई तहत चिकित्सा महाविधालय का उन्नयन तृतीय चरण (2699)	735.03	348.11	0.00
04.	माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (13)	17. छात्र बीमा (1459)	0.03	0.01	0.00
		18. सांस्कृतिक शैक्षणिक भ्रमण (1460)	0.03	0.01	0.00
		19. मंत्रालय से संबंधित राज्य स्तरीय पुरस्कार (1462)	7.40	2.22	0.00
		20. लैपटॉप वितरण (1733)	0.03	0.01	0.00
		22. राज्य प्रतिभा सोज परीक्षा छात्रवृत्ति (2316)	500.00	150.00	0.00
		27. नाबार्ड आरआईडीएफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य (2698)	0.07	0.04	0.00
		30. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	140.00	56.00	0.00
05.	तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर (15)	7. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	11.53	3.46	0.00
06.	कृषि विभाग, जयपुर (18)	15. किसान सेवा केंद्र/ग्राम ज्ञान केंद्र का निर्माण (1671)	0.03	0.01	0.00
		25. कृषि में ई-गवर्नेंस योजना (2298)	30.00	9.00	0.00
		33. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	500.00	150.00	0.00
		34. मोटे अनाजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र 3073)	0.03	0.01	0.00
		38. जैविक स्रोतों के लिए सहायता (3099)	500.00	150.00	0.00
07.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर (28)	22. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पीपीपी मोड पर संचालन (2357)	0.03	0.01	0.00
		24. निरोगी राजस्थान (2838)	0.15	0.07	0.00
		27. मुख्यमंत्री निरोग मुक्त राजस्थान (3166)	117863.72	56574.59	0.00
08.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (29)	5. प्राथमिक विद्यालय (2170)	0.02	0.01	0.00
09.	मत्स्य विभाग (31)	1. नीली क्रांति एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन (2505)	18.14	6.53	0.00
		1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (3008)	464.88	185.95	0.00
10.	जेएलएन चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, अजमेर (33)	6 यूजी सीटों में वृद्धि (2609)	3691.10	1771.73	0.00
		7. द्वितीय चरण में मेडिकल कॉलेजों के सुदृढीकरण एवं उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पीजी सीटों में वृद्धि (2725)	5300.00	2544.04	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
		8. केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से योजनाओं का संचालन (2929)	0.12	0.06	0.00
11.	एसजेईडी, जयपुर (43)	14. संबल गांवों का विकास (282)	950.00	285.00	0.00
12.	जनजाति क्षेत्रीय विभाग, उदयपुर (59)	16. अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण (1058)	14.60	2.92	0.00
		24. जनजाति कल्याण कोष के अंतर्गत सहरिया क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक उपलब्ध कराया जाएगा (1571)	0.02	0.01	0.00
		27. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन(1591)	0.10	0.03	0.00
13.	डीओआईटी एण्ड सी, जयपुर (68)	3. ई-संचार (1034)	312.03	93.61	0.00
		8. वाई-फ़ाई हॉट स्पॉट (2106)	0.06	0.02	0.00
14.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर (82)	1. विज्ञान और समाज (1437)	90.52	27.16	0.00
15.	स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर (91)	स्वच्छ भारत मिशन (2335)	0.12	0.06	0.00
16.	अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, टोंक (95)	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, टोंक (112)	23.03	2.30	0.00
17.	श्रम विभाग, जयपुर (134)	1. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (325)	9.01	4.50	0.00
		2. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2476) के अंतर्गत सुविधा एवं सूचना केंद्र	4.99	2.50	0.00
18.	रोजगार सेवा विभाग एवं आर.एम.ओ.एल. (135)	1 रोजगार मेंला (327)	507.01	202.80	0.00
		3. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (2777)	0.03	0.01	0.00
		4. संकल्प योजना (2778)	0.06	0.01	0.00
19.	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान (140)	राजीव गांधी जल संचय योजना, (2753)	41500.00	10375.00	0.00
20.	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150)	मॉडल आई.टी.आई. में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन. (2284)	50.00	12.50	0.00
		9. स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) (2727)	1200.00	300.00	0.00
21.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (175)	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (810)	150.00	75.00	0.00
22.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर - द्वितीय चरण (1080)	11822.82	5911.41	0.00
23.	एस.जी.एस.वाई. अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर(217)	6. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (2475)	0.06	0.02	0.00
24.	एनआरएचएम, जयपुर (227)	राज्यव्यापी आपातकालीन रोगी वाहन सेवा (1050)	22080.00	9640.13	0.00
25.	राजस्थान वक्फ बोर्ड (229)	मदरसा स्कूल (43)	9000.01	3600.00	0.00
26.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर (242)	2. स्वास्थ्य शिक्षा भवन (1190)	10.01	3.00	0.00
		6 तृतीयक कैंसर रेसमाल केंद्र (2607)	2675.62	802.69	0.00
		7. यूजी सीटों में वृद्धि (2609)	4200.12	1260.04	0.00
		10. ट्रॉपिकल मेडिसिन और वायरोलॉजी संस्थान (2938)	0.04	0.01	0.00
		11. कार्डियोलॉजी संस्थान (2939)	0.06	0.02	0.00
27.	निदेशक, विशेष योग्यजन, जयपुर (244)	4 जिला पुनर्वास (336)	42.85	14.14	0.00
		6. दिव्यांगों के लिए खेल कार्यक्रम (338)	5.00	1.65	0.00
		विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप और लिफ्ट का निर्माण (2047)	200.01	66.00	0.00
		16. कुष्ठ गृह (2586)	7.00	2.31	0.00
		17 दृष्टिहीन शिक्षकों को प्रशिक्षण (2588)	2.00	0.66	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
		18. शारीरिक एवं मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता (2589)	5.00	1.65	0.00
		21 आस्था योजना (2744)	1.00	0.33	0.00
28.	बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर (259)	2. क्रेच का संचालन (2543)	145.00	43.50	0.00
29.	अभियंत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा (260)	1. अभियंत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा (2104)	180.01	45.00	0.00
		2. अभियंत्रिकी महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों में निर्माण कार्य (3006)	220.00	55.00	0.00
कुल			226519.46	95291.71	0.00

परिशिष्ट 3.10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 97)

योजनायें जहाँ बजट अनुमान में प्रावधान किए गए और संशोधित अनुमान में कम किए गए

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24	किया गया वास्तविक व्यय	श्रेणी
1.	एस.पी. मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल समूह, बीकानेर (04)	10. तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र (2607)	260.09	0.00		बी
2.	आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल समूह, उदयपुर (06)	4. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में अन्य व्यय (846)	106.56	10.01	0.00	बी
		10. पी.एम.एस.वाई. के तहत तृतीय चरण में मेडिकल कॉलेज का उन्नयन (2699)	348.11	0.06	0.00	बी
3.	कॉलेज शिक्षा विभाग (07)	2. शासकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना (2364)	1,953.87	0.03	0.00	ए
4.	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	22. राज्य प्रतिभा स्त्रोज परीक्षा छात्रवृत्ति (2316)	150.00	0.00	0.00	बी
5.	कृषि विभाग, जयपुर (18)	33. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	150.00	0.00	0.00	बी
		38. जैविक स्त्रेती के लिए सहायता (3099)	150.00	0.00	0.00	बी
6.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (43)	5. नारी निकेतन भवन (1228)	1,000.01	0.01	0.00	ए
		11. कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	1,156.14	0.00	0.00	ए
7.	कमान क्षेत्र विकास विभाग (आईजीएनपी), बीकानेर (72)	1. मंडियों में सड़क निर्माण (619)	360.00	2.10	0.95	बी
8.	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान (140)	राजीव गांधी जल संचय योजना, (2753)	10,375.00	11.25	0.00	बी
9.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (175)	1. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (810)	75.00	0.00	0.00	बी
10.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. आईजीएनपी, जैसलमेर द्वितीय चरण (1080)	5,911.41	0.00	0.00	बी
11.	राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर (229)	1. मदरसा स्कूल (43)	3,600.00	0.00	0.00	बी
12.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा (260)	2. अभियांत्रिकी महाविद्यालय / तकनीकी संस्थान का निर्माण कार्य (3006)	55.00	0.00	0.00	बी
		कुल	25,651.19	23.46	0.95	

परिशिष्ट 3.11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.5; पृष्ठ 98)

कम व्यय वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत
01.	अल्पसंख्यक विभाग (58)	काली बाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	13.95	0.00	0.00
02.	बाल अधिकारिता विभाग (259)	शिशु गृह/क्रेच का संचालन (2543)	1.45	0.00	0.00
03	परिवार कल्याण विभाग (30)	शुभ लक्ष्मी योजना (2153)	40.00	0.00	0.00
04	प्रारंभिक शिक्षा विभाग (29)	सहारिया क्षेत्र के आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता (3029)	2.55	0.00	0.00
05		शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति (1486)	740.00	112.63	15.22
06		स्कूल चलो अभियान (2935)	229.20	13.45	5.87
07	माध्यमिक शिक्षा विभाग (13)	ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण (1457)	140.00	29.12	20.80
08		मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि (1450)	100.00	23.12	23.12
09		राज्य के प्रतिष्ठित स्कूलों में आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने की सुविधा (3026)	27.30	3.69	13.52
10		आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग की प्रतिभाशाली छात्राओं को नकद पुरस्कार एवं स्कूटर वितरण योजना (2553)	8.70	1.02	11.72
11		व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	5.00	0.00	0.00
12		सहारिया क्षेत्र की आदिवासी छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता (3025)	1.40	0.00	0.00
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (42)	प्रियदर्शिनी डे-केयर योजना (3200)	20.00	0.00	0.00
14		राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला) (1072)	25.40	0.00	0.00
15	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	11.56	0.00	0.00
16		छात्रावास में रहने वालों को साइकिल वितरण योजना (2541)	0.50	0.00	0.00
17		अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति और मासिक वृत्ति (2529)	305.00	62.59	20.52
		कुल	1,787.01	245.62	

परिशिष्ट 3.12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.6; पृष्ठ 107)

पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत अनियमित प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	समर्पण/ पुनर्विनियोजन
1	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 13- तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र 02- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
2	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 15- यूजी सीटों में वृद्धि 04- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/उपकरण एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
3	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 15- यूजी सीटों में वृद्धि 05- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
4.	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 15- यूजी सीटों में वृद्धि 06- नये मेडिकल कॉलेजों हेतु पूँजीगत व्यय 17- प्रमुख निर्माण कार्य	1170.02	0.00	1170.02
5.	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 27- स्वास्थ्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 01- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर 17- प्रमुख निर्माण कार्य	0.02	0.00	0.02
6.	30	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03- तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र 02- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	361.19	0.00	361.19

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	समर्पण/ पुनः उपयुक्त
7.	30	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05- यूजी सीटों में वृद्धि 04- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य	0.04	0.00	0.04
8.	51	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 789- अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना 03- तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र 02- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	476.95	0.00	476.95
9.	51	4210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 789- अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना 05- यूजी सीटों में तेजी 04- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
		कुल	2008.38	0.00	2008.38

परिशिष्ट 4.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 125)

राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे ही हस्तांतरित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भारत सरकार की योजनाएं	कार्यकारी अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी
	नियंत्रक: कृषि		
1.	कृषोन्नति योजना	कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	24.95
2.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	सहकारिता विभाग राजस्थान	4,163.46
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय	5.09
	नियंत्रक: नाभिकीय उर्जा		
4.	अन्य संस्थानों को अनुदान	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	1.20
	नियंत्रक: वाणिज्य		
5.	शुल्क वापसी योजना	एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड.	1.89
6.	निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर	0.89
	नियंत्रक: संस्कृति		
7.	शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएँ	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	0.46
8.	कला संस्कृति विकास योजना	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	0.71
	नियंत्रक: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय		
9.	रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना	एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड	4.09
	नियंत्रक: उर्वरक		
10.	आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	2,538.38
11.	स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	679.68
12.	स्वदेशी यूरिया के लिए भुगतान	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	12,131.24
	नियंत्रक: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
13.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	28.57
	नियंत्रक: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
14.	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.)	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन अभिकरण	625.10
15.	रक्त संक्रमण सेवाएँ	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	3.00
16.	राष्ट्रीय एड्स और एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	26.99
17.	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	2.51
	नियंत्रक : उद्योग		
18.	जूते चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (एफ.एल.ए.डी.पी.)	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	17.34
19.	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	5.94
20.	क्रय और विपणन सहायता योजनाएँ	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	4.39
21.	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना	पिलानी नवाचार एवं उद्यमिता विकास समिति और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	8.47
	नियंत्रक: विधि और न्याय		
22.	ई-कोर्ट चरण II	रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.12

क्रम संख्या	भारत सरकार की योजनाएं	कार्यकारी अधिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी
	नियंत्रक: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय		
23.	जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.), जयपुर, राजस्थान	251.07
	नियंत्रक: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		
24.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड	75.38
25.	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	37.59
26.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	2.50
	नियंत्रक: अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय		
27.	पी.एम. विकास प्रतिबद्ध देनदारियां (विरासत का संवर्धन)	निजी क्षेत्र की कंपनियां और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	6.09
	नियंत्रक: कपड़ा मंत्रालय		
28.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश (रीको लिमिटेड) निगम लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र की कंपनिया	12.16
29.	एकीकृत ऊन सुधार एवं विकास कार्यक्रम	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	11.28
	नियंत्रक: सड़क परिवहन और राजमार्ग		
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	निजी क्षेत्र कंपनिया	77.49
31.	अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	4.90
32.	सड़क विंग के तहत कार्य	उपसंड अधिकारी झुंझुनू, भूमि अधिग्रहण और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सक्षम प्राधिकारी	268.99
	नियंत्रक: ग्रामीण विकास		
33.	भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-आधुनिकीकरण सोसायटी, जयपुर	11.50
34.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	राज्य रोजगार गारंटी निधि, जयपुर	6,545.71
35.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण	इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर	2.28
	नियंत्रक: सामाजिक न्याय और अधिकारिता		
36.	अटल वयो अभ्युदय योजना	गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	3.50
37.	दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	9.91
38.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी.एम.-ए.जे.ए.वाय.)	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	7.50
39.	लक्षित क्षेत्र के उच्च विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (एस.आर.ई.एस.एच.टी.ए.)	गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	12.87
40.	विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना	निदेशक, विशेष रूप से अक्षम व्यक्ति निदेशालय	5.75
	नियंत्रक: जल संसाधन		
41.	अटल भूजल योजना	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, भूजल विभाग	144.62
42.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर	28.66
	नियंत्रक: युवा मामले और खेल		
43.	सेलो भारत	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर	14.49
44.	राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एन.एस.एस. प्रकोष्ठ	8.75
45.	एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत)।		1.23
		योग	27,843.69

परिशिष्ट 4.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 130)

31 मार्च 2024 तक बकाया सारांशिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राशि
1	--	2202	1990-91	सहायक निदेशक, डाईट, जालौर	₹30,000
2	पंजीयक, राजस्व मंडल, अजमेर	2029	2021-22	उप पंजीयक, राजस्व मंडल अजमेर	50.00
3	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204	2021-22	प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर	4.30
4	उप. महानिदेशक, एन.सी.सी., राजस्थान, जयपुर	2204	2023-24	कमांडिंग अधिकारी तृतीय राज नौसेना इकाई, एन.सी.सी., जयपुर	1.17
				7 राज. स्वतंत्र कंपनी एन.सी.सी., जयपुर	0.46
				4 राज एयर स्कवार्डन एन.सी.सी., जोधपुर	0.80
				कमांडिंग अधिकारी प्रथम, राज आर्मर्ड स्कवार्डन एन.सी.सी., जयपुर	0.73
				कमांडिंग अधिकारी, 7 एन.सी.सी. गर्ल्स, कोटा	1.17
				कमांडिंग अधिकारी, 7 एन.सी.सी. गर्ल्स, कोटा	0.11
				एन.सी.सी. 3, अलवर	0.43
				कमांडिंग अधिकारी, तृतीय राज नौसेना इकाई, एन.सी.सी., जयपुर	1.17
				7 राज. स्वतंत्र कंपनी एन.सी.सी., जयपुर	0.13
				कमांडिंग अधिकारी, राज स्वतंत्र. एन.सी.सी. बाड़मेर	2.68
				एन.सी.सी. 3, अलवर	1.71
				कमांडिंग अधिकारी, 2 राज. नौसेना इकाई, एन.सी.सी., अजमेर	3.29
5	उप. महानिदेशक, एन.सी.सी., राजस्थान, जयपुर	2204	2022-23	एन.सी.सी. 3, अलवर	2.17
6	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर	3425	2023-24	परियोजना निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0.55
7	प्राचार्य, सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4210	2022-23	विभागाध्यक्ष एवम आहरण एवं संवितरण अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	500.00
				विभागाध्यक्ष एवम आहरण एवं संवितरण अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	1,000.00
8	प्राचार्य, डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4210	2022-23	प्रधान नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	2,500.00
			2022-23		1,008.06
			2022-23		665.51
			2022-23		100.54
			2022-23		59.35
			2022-23		439.16
			2023-24	प्रधान नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	164.58
9	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	2245	2012-13	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, अलवर	103.50

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राशि
10	उप सचिव, कैबिनेट सचिवालय, राजस्थान, जयपुर	2012	2023-24	वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर	2.70
11	महानिदेशक, पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2023-24	जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर (42 ए.सी. बिल)	420.00
				अतिरिक्त एस.पी., एस.पी. बीकानेर के लिए (3 ए.सी. बिल)	30.00
				पुलिस अधीक्षक, बूंदी (5 ए.सी. बिल)	5.00
				अतिरिक्त एस.पी., दौसा (17 ए.सी. बिल)	165.00
				डीडीओ एस.पी. कार्यालय, धौलपुर (8 ए.सी. बिल)	8.00
				पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा (10 ए.सी. बिल)	100.00
				पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर (2 ए.सी. बिल)	8.00
				पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ (10 ए.सी. बिल)	55.00
				अतिरिक्त एस.पी., जयपुर (ग्रामीण) (1 ए.सी. बिल)	10.00
				डी.डी.ओ., एस.पी. कार्यालय, करौली (15 ए.सी. बिल)	15.00
				पुलिस अधीक्षक, राजसमंद (3 ए.सी. बिल)	30.00
				अतिरिक्त एस.पी. (शहर), अजमेर (2 ए.सी. बिल)	24.45
				अतिरिक्त एस.पी., भरतपुर (10 ए.सी. बिल)	100.00
				पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर (7 ए.सी. बिल)	73.76
12	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर	2015	2023-24	जिला निर्वाचन अधिकारी, बूंदी (5 ए.सी. बिल)	17.11
				जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर (3 ए.सी. बिल)	51.57
				जिला निर्वाचन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (1 ए.सी. बिल)	10.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, डूंगरपुर (2 ए.सी. बिल)	63.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, सिरोही (1 ए.सी. बिल)	23.10
				जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़ (1 ए.सी. बिल)	4.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली (4 ए.सी. बिल)	49.03
				जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौर (1 ए.सी. बिल)	19.25
				जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमंद (3 ए.सी. बिल)	55.33
				जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर (9 ए.सी. बिल)	146.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, बांसवाड़ा (3 ए.सी. बिल)	30.00
13	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2051	2016-17	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालिक चयन बोर्ड, जयपुर	2.00
	योग			197	8,128.87

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 132)

एसी बिल जिनमें महत्वपूर्ण/संपूर्ण राशि चालान के माध्यम से वापस जमा कराई गई

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	शीर्ष	ए.सी. बिल संख्या	ए.सी. बिल तिथि	ए.सी. बिल राशि	डी.सी. बिल राशि	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि	चालान राशि का ए.सी. बिल राशि से प्रतिशत
1	2204-102-01-03	46000582	11.05.2023	18,422	18,422	18,422	100.00
2	3452-80-796-01-11	42880287	28.11.2022	30,000	30,000	30,000	100.00
3	2055-109-11-01-20	49047223	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
4	2055-109-11-01-20	49047237	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
5	2055-109-11-01-20	49049310	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
6	2055-109-11-01-20	49049085	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
7	2055-109-11-01-20	49129243	21.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
8	2055-109-11-01-20	49049305	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
9	2055-109-11-01-20	49049316	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
10	2055-109-11-01-20	49047260	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
11	2055-109-11-01-20	49136577	21.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
12	2055-109-11-01-20	49489479	08.12.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
13	2055-109-11-01-20	49489704	08.12.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
14	2055-109-11-01-20	49489171	08.12.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
15	2055-109-11-01-20	49070285	16.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
16	2055-109-11-01-20	49070295	16.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
17	2015-106-01-57	49062748	16.11.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
18	2015-106-01-57	48818658	04.11.2023	2,00,000	2,00,000	2,00,000	100.00
19	2055-109-11-01-20	49089990	17.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
20	2055-109-11-01-20	49090162	17.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
21	2015-106-01-57	48957298	08.11.2023	5,00,000	5,00,000	5,00,000	100.00
22	2015-106-01-57	48957309	08.11.2023	2,00,000	2,00,000	2,00,000	100.00
23	2015-106-01-57	48957314	08.11.2023	2,00,000	2,00,000	2,00,000	100.00
24	2015-106-01-57	48957327	08.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
25	2204-102-01-02-29	49301117	28.11.2023	10,071	10,071	10,071	100.00

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 134)

31 मार्च 2024 तक निजी निक्षेप खातों में शेष राशि ₹ 100 करोड़ और अधिक को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पी.डी. खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (डी.डी.ओ.)	कोषालय का नाम और कोड	राशि
1	6216	जिला सनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि	भीलवाड़ा(8)	126.45
2	3398	राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	जयपुर शहर (18)	945.48
3	3486	उप-प्रबंधक, राजस्थान राज्य को. ऑपरेटिव बैंक		632.01
4	561	प्रबंध निदेशक, जल आपूर्ति नागरिक प्रबंधन निगम		144.28
5	5815	राज. पुलिस आवास एवं निर्माण निगम		183.00
6	18820	पंचायती राज विभाग	जयपुर सचिवालय (21)	122.00
7	18941	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम		195.28
8	19310	मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना		158.09
9	3792	निदेशक एवं परियोजना निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम		626.03
10	3798	एम.डी. एवं एफ.ए., राज. राज्य पुल/सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		509.00
11	3821	जी.एम./एक्सई.एम., राज.राज्य सड़क परिवहन निगम		150.00
12	3824	एफ.ए./प्रबंधक वित्त, आर.आई.आई.सी.ओ. (रीको)		153.00
13	3988	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान		410.00
14	3996	युवा बोर्ड		317.24
15	4008	राज.राज्य स्वास्थ्य सोसायटी,		414.00
16	5303	राज. शहरी इंफ्रा.वित्त.विकास.निगम (रुडीसको)		475.18
17	5304	जयपुर मेट्रो रेल निगम (जेएमआरसी)		146.00
18	5669	राज. चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड		488.00
19	5756	राज. राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड		610.25
20	592	एम.डी., राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		948.40
21	6330	राज. मेडिकल शिक्षा सोसाइटी		213.40
22	6897	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी		143.00
23	1001	आयुक्त, टी.ए.डी.	उदयपुर शहर (38)	332.09
24	6215	डी.एम.एफ.टी., उदयपुर	उदयपुर ग्रामीण (41)	156.16
		योग		8,598.34

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 134)

वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न कोषागारों में संघारित निजी निक्षेप खातों में “शून्य” शेष रखने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पी.डी. खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषागार का नाम और कोषागार कोड
1.	5166	डी.डी., डी.डब्ल्यू.डी.ए. (आई.सी.डी.एस.)	अजमेर (01)
2.	6337	अति. जिला परियोजना अधिकारी	
3.	7016	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेद	
4.	169	पी.ओ., महिला अधिकारिता विभाग	अलवर(02)
5.	5033	प्रा. शिक्षा एवं लोन स्कॉलर राज ऋषि महाविद्यालय	
6.	5620	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
7.	6338	अति. जिला परियोजना अधिकारी	
8.	6736	सरकारी महाविद्यालय भास्कर, पालनगर, अलवर	बांसवाडा(03)
9.	18692	आर. जी. एच. एस.	
10.	4997	परियोजना निदेशक, डी. यू. डी. ए.	बारां (04)
11.	1242	जी. एम., बारां नागरिक सहकारी बैंक	
12.	18692	आर. जी. एच. एस.	
13.	538	जिला महिला विकास अभिकरण,	बाड़मेर(05)
14.	3375	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग	
15.	6106	डी.ई.ओ.(प्राथमिक शिक्षा),बाड़मेर	ब्यावर(06)
16.	18692	आर जी एच एस	
17.	474	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	भरतपुर (07)
18.	18692	आर. जी. एच. एस.	
19.	1883	कार्यक्रम निदेशक, आर.एस.ए.जी.टी. एवं आर. सेंटर	
20.	2284	पी.डी., महिला अधिकारिता विभाग	
21.	474	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	भीलवाडा(08)
22.	6342	अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी	
23.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
24.	6905	आर.यू.आई.डी.पी., भीलवाड़ा	बूंदी (10)
25.	879	परियोजना अधिकारी, महिला रोजगार विभाग (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	
26.	18692	आर. जी. एच. एस.	चित्तौड़गढ़ (11)
27.	5494	निदेशक, जिला (आई.सी.डी.एस.) महिला विकास एजेंसी ब्यूरो	
28.	1152	उप निदेशक, महिला बाल विकास	
29.	1205	पी.ओ., जिला महिला विभाग (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	चुरू (12)
30.	18692	आर. जी. एच. एस.	
31.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
32.	2932	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	दौसा (13)
33.	1771	उप निदेशक, महिला विकास (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	
34.	3017	परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	
35.	3059	जिला लघु बचत अधिकारी	
36.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	

क्र.सं.	पी.डी. खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषागार का नाम और कोषागार कोड
37.	6693	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), दौसा	दौसा (13)
38.	474	एच.बी.ए. एस.बी.बी.जे.	धोलपुर(14)
39.	1295	परियोजना अधिकारी (एस.डब्ल्यू.डी.ए.) जिला महिला विकास अधिकारी	श्रीगंगानगर(16)
40.	6904	आर.यू.आई.डी.पी., श्रीगंगानगर	
41.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	हनुमानगढ़(17)
42.	3489	अधीक्षक, चिकित्सा एवं पुनर्वास आरआरसी	जयपुर शहर(18)
43.	5619	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
44.	5823	राजकीय कॉलेज	
45.	6453	संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जयपुर	
46.	3762	सदस्य सचिव एवं निदेशक, औद्योगिक इंटरप्राइजेज, जहाज एवं प्रबंधन विकास संस्थान.	जयपुर सचिवालय(21)
47.	3799	एम.डी., राजस्थान स्टेट हैंडलूम सहकारी	
48.	3937	निदेशक, पेट्रोलियम विभाग	
49.	5880	राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	
50.	6823	निदेशालय, यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर	
51.	4422	परियोजना अधिकारी, (महिला) रोजगार विभाग	जैसलमेर(22)
52.	5591	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
53.	6699	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), जालोर	जालोर(23)
54.	18692	आर. जी. एच. एस.	झुंझुनू(25)
55.	6701	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), झुंझुनू	जोधपुर शहर(26)
56.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
57.	6359	अतिरिक्त जिला, प्रो. कं	
58.	4352	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं परियोजना निदेशक. जिला महिला विकास अभिकरण	करोली(28)
59.	6360	अतिरिक्त जिला प्रो. कं	
60.	5688	जिला आयुर्वेद अधिकारी	कोटा(29)
61.	6361	अतिरिक्त जिला. प्रो. कं	
62.	18692	आर. जी. एच. एस.	नागौर (30)
63.	6705	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.) नागौर,	
64.	6706	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), पाली	पाली(31)
65.	6903	आर.यू.आई.डी.पी., पाली	
66.	18692	आर. जी. एच. एस.	राजसमन्द (33)
67.	5596	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
68.	1722	उप निदेशक (सी.डी.), आई.सी.डी.एस./जिला महिला विकास अभिकरण	सवाई माधोपुर(34)
69.	6907	आर.यू.आई.डी.पी., सवाई माधोपुर	
70.	1575	परियोजना निदेशक (डी.डब्ल्यू.डी.ए.), जिला महिला विकास अभिकरण	सीकर (35)
71.	6710	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), सीकर	
72.	6368	अतिरिक्त जिला प्रो. क.	उदयपुर शहर (36)
73.	6711	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), सिरौही	
74.	6370	अतिरिक्त जिला प्रो.क.	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 136)

वर्ष 2022-2024 के दौरान निजी निक्षेप खातों के गैर-परिचालन का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
01.	उपभोक्ता वाहन ऋण का पुनर्भुगतान	अजमेर (01)	0.02	स्वाता बंद
02.	उप निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.) (आई.सी.डी.एस.)		0.00	स्वाता बंद
03.	प्राचार्य, शिक्षा एवं लोन स्कॉलर, राजऋषि कॉलेज	अलवर (02)	0.00	स्वाता बंद
04.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
05.	परियोजना निदेशक, डी.यू.डी.ए.	बांसवाड़ा (03)	0.00	स्वाता बंद
06.	अध्यक्ष, एफ.एफ.डी.ए.		1.53	स्वाता बंद
07.	वन संरक्षक, बांसवाड़ा		3.71	स्वाता बंद
08.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), बांसवाड़ा		6.32	स्वाता बंद
09.	जी. एम., बारां नागरिक सहकारी बैंक	बारां (04)	0.00	स्वाता बंद
10.	कमिश्नर, श्रम शिविर और श्रम कल्याण अधिकारी		19.64	स्वाता बंद
11.	जिला महिला विकास अभिकरण		0.00	स्वाता बंद
12.	सुमित्रा देवी विश्वविद्यालय, राजपुर, बारां (राजस्थान)		75.01	स्वाता बंद
13.	परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण विभाग	बाड़मेर (05)	0.00	स्वाता बंद
14.	सचिव, यू.आई.टी. (शहरी)		0.14	स्वाता बंद
15.	डी.ई.ओ. (प्रारम्भिक शिक्षा), बाड़मेर		0.00	स्वाता बंद
16.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	ब्यावर (06)	0.00	स्वाता बंद
17.	कार्यक्रम निदेशक, आर.एस.ए.जी.टी. एवं आर. केंद्र	भरतपुर (07)	0.00	स्वाता बंद
18.	कार्यक्रम निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग		0.00	स्वाता बंद
19.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.00	स्वाता बंद
20.	संभागीय एस.ए.एन.एस.		0.48	स्वाता बंद
21.	डी.डी. (आई.सी.डी.एस.), महिला बाल विकास विभाग	भीलवाड़ा (08)	19.17	स्वाता बंद
22.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
23.	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)		0.00	स्वाता बंद
24.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), बीकानेर	बीकानेर (09)	0.52	स्वाता बंद
25.	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर		151.70	स्वाता बंद
26.	वित्त नियंत्रक, उपायुक्त, बीकानेर विश्वविद्यालय		14.60	स्वाता बंद
27.	निदेशक, जिला (आई.सी.डी.एस.), डी.डब्ल्यू.डी.ए. (महिला विकास प्राधिकरण)	बूंदी (10)	0.00	स्वाता बंद
28.	निदेशक (आई.सी.डी.एस.), जिला महिला विकास एजेंसी ब्यूरो		0.00	स्वाता बंद
29.	उप निदेशक, महिला बाल विकास	चित्तौड़गढ़ (11)	0.00	स्वाता बंद

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
30.	परियोजना अधिकारी, जिला महिला विभाग (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)		0.00	स्वाता बंद
31.	उप वन संरक्षक (डी.एफ.ओ.)	चुरु (12)	0.40	स्वाता बंद
32.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)		0.00	स्वाता बंद
33.	उप निदेशक, महिला विकास (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	दौसा (13)	0.00	स्वाता बंद
34.	परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)		0.00	स्वाता बंद
35.	जिला लघु बचत अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
36.	आयुक्त, रोजगार आयोग एवं श्रम कल्याण कार्यालय		5.04	स्वाता बंद
37.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
38.	प्राचार्य, राजकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय		193.23	स्वाता बंद
39.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	धौलपुर (14)	0.00	स्वाता बंद
40.	अतिरिक्त उपा. कार्यक्रम समन्वयक		0.00	स्वाता बंद
41.	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं पी.	डूंगरपुर (15)	16.46	स्वाता बंद
42.	पी.डी., जिला महिला विकास एजेंसी		0.00	स्वाता बंद
43.	एच.बी.ए., एच.डी.एफ.सी.		10.98	स्वाता बंद
44.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.50	स्वाता बंद
45.	परियोजना अधिकारी (एस.डब्ल्यू.डी.ए.), जिला महिला विकास अधिकारी	श्रीगंगानगर (16)	0.00	स्वाता बंद
46.	भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीकरणपुर,		80.26	वित्त विभाग की अनुमति से स्वाता पुनः सोला गया
47.	जिलाधीश, आयुर्वेद		0.06	स्वाता बंद
48.	जिलाधीश एवं अध्यक्ष मछली विकास एजेंसी, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ (17)	23.04	स्वाता बंद
49.	भूमि उपस्कर अधिकारी एवं एस.डी.एम., नोहर		58.39	वित्त विभाग की अनुमति से स्वाता पुनः सोला गया
50.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.00	स्वाता बंद
51.	महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य होटल निगम	जयपुर शहर (18)	0.12	स्वाता बंद
52.	अधीक्षक, चिकित्सा एवं पुनर्वास आर.आर.सी.		0.00	स्वाता बंद
53.	नया एम.सी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.08	स्वाता बंद
54.	सरकारी महाविद्यालय		0.00	स्वाता बंद
55.	जिला कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), जयपुर		1390.41	वित्त विभाग की अनुमति से स्वाता पुनः सोला गया
56.	नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.)	जयपुर टीओ पेंशन (19)	0.86	स्वाता बंद
57.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	जयपुर ग्रामीण (20)	0.21	स्वाता बंद
58.	सदस्य सचिव एवं निदेशक, इंदु. जहाजरानी एवं प्रबंधन	जयपुर सचिवालय (21)	0.00	स्वाता बंद
59.	महाप्रबंधक वित्त, सहकारिता विपणन फेड. लिमिटेड		243.56	स्वाता बंद
60.	एम.डी., राज. राज्य हथकरघा सहकारी समिति		0.00	स्वाता बंद
61.	एम.डी., भूमि विकास निगम		2826.86	स्वाता बंद
62.	निदेशक, पेट्रोलियम विभाग		0.00	स्वाता बंद
63.	राज. ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद		0.00	स्वाता बंद
64.	श्रम कल्याण अधिकारी, जैसलमेर	जैसलमेर (22)	10.00	स्वाता बंद

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
65.	परियोजना अधिकारी (महिला), अधिकारिता विभाग		0.00	स्वाता बंद
66.	सचिव, यू.आई.टी.,		0.00	स्वाता बंद
67.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
68.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	स्वाता बंद
69.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.वी.ए.पी.), जैसलमेर		0.34	
70.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	जालौर (23)	0.12	स्वाता बंद
71.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	स्वाता बंद
72.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.पी.), जालौर		0.00	स्वाता बंद
73.	सहायक निदेशक, बागवानी	झालावाड़ (24)	0.38	स्वाता बंद
74.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.21	स्वाता बंद
75.	परियोजना क्रियान्वयन इकाई रुईडीपी, झुंझुनू	झुंझुनू (25)	42.83	स्वाता बंद
76.	विशेष अधिकारी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	जोधपुर सिटी (26)	15.66	स्वाता बंद
77.	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान		121.84	स्वाता बंद
78.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.50	स्वाता बंद
79.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
80.	एम.बी.एम. इंजीनियरिंग महाविद्यालय		0.01	स्वाता बंद
81.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	स्वाता बंद
82.	नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.)	जोधपुर ग्रामीण (27)	0.79	स्वाता बंद
83.	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण	करौली (28)	0.00	स्वाता बंद
84.	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग		6.13	स्वाता बंद
85.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
86.	अधीक्षक, एम.बी.एस.एच.ओ.	कोटा (29)	21.94	स्वाता बंद
87.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
88.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	स्वाता बंद
89.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	नागौर (30)	0.51	स्वाता बंद
90.	प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय, मंगलाना		7.68	स्वाता बंद
91.	मीरा यूनिवर्सिटी, मेड़तासिटी		0.14	स्वाता बंद
92.	श्रम कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ (32)	10.00	स्वाता बंद
93.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.12	स्वाता बंद
94.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	राजसमन्द (33)	3.79	स्वाता बंद
95.	न्यू एम.सी.ए., ओ.बी.सी.		1.78	स्वाता बंद
96.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
97.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	स्वाता बंद
98.	उप निदेशक (सी.डी.), आई.सी.डी.एस. एवं जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	सवाई माधोपुर (34)	0.00	स्वाता बंद
99.	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	सीकर (35)	7.83	स्वाता बंद
100.	आयुक्त, कर्मकार मुआवजा अधिनियम		5.29	स्वाता बंद

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
101.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)		0.00	स्वाता बंद
102.	एचबीए, एसबीबीजे		0.48	स्वाता बंद
103.	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. (टी.ए.डी.)	सिरोही (36)	11.95	स्वाता बंद
104.	जिला पशुपालन अधिकारी		0.08	स्वाता बंद
105.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), सिरोही		0.00	स्वाता बंद
106.	अध्यक्ष, एफ.एफ.डी.ए.	टोंक (37)	25.02	स्वाता बंद
107.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	उदयपुर सिटी (38)	0.15	स्वाता बंद
108.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	स्वाता बंद
109.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	स्वाता बंद
110.	अध्यक्ष, मत्स्य पालन विकास अभिकरण		0.89	स्वाता बंद
111.	एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.04)	ए.पी.ए.ओ. नई दिल्ली (39)	1.28	स्वाता बंद
112.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		1.26	स्वाता बंद
113.	एच.बी.ए., एच.डी.एफ.सी.		6.09	स्वाता बंद
114.	एच.जे.एच.जे.		0.06	स्वाता बंद
115.	एच.बी.ए. ऋण की वसूली-एस.बी.बी.जे.	उदयपुर ग्रामीण (41)	0.03	स्वाता बंद
	योग		5,448.48	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 138)

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	5.67	5.67	100.00
2.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	49.29	96.38	51.15
3.	2425- सहकारिता	932.70	1,596.04	58.44
4.	2700-मुख्य सिंचाई	1,666.80	2,098.93	79.41
5.	2701-मध्यम सिंचाई	177.68	60.68	272.81
6.	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान	14.05	14.11	99.57
7.	3452-पर्यटन	56.77	87.50	64.88
8.	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	100.00
9.	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	120.98	125.27	96.58
10.	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	24.55	34.65	70.86
11.	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	29.29	46.20	63.39
12.	4885-उद्योगों और स्निजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	3.65	5.24	69.49
13.	5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	9.49	9.49	100.00
14.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	285.89	408.22	70.03
	योग	3,376.82	4,588.39	73.59

लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1	0029-भू-राजस्व	325.60	469.38	69.37
2	0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	99.55	99.57	99.98
3	0056- जेल	0.29	0.26	110.94
4	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	148.29	283.65	52.28
5	0071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली	105.92	161.49	65.59
6	0220-सूचना तथा प्रचार	0.10	0.10	100.00
7	0230-श्रम तथा रोजगार	773.12	793.33	97.45
8	0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	58.60	64.46	90.92
9	0401 -फसल कृषि कर्म	8.40	11.79	71.26
10	0406-वानिकी एवं वन्य जीवन	93.85	139.77	67.15
11	0425-सहकारिता	16.58	21.30	77.83
12	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	12.45	18.10	68.78
13	0801-विद्युत	302.26	302.26	100.00
14	0851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3.59	3.59	100.00
15	0852-उद्योग	1.25	1.25	100.00
16	1452-पर्यटन	1.71	1.71	100.00
17	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	161.50	222.98	72.43
	योग	2,113.06	2,594.99	81.43

परिशिष्ट 4.8

(संदर्भ अनुच्छेद 4.12; पृष्ठ 145)

विभिन्न विभागों में चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन के प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	चोरी/हानि के मामले		गबन /सरकारी सामग्री का दुरुपयोग		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	राजस्व	28	155.40	32	1,183.14	60	1,338.54
2	शिक्षा	74	115.51	61	5,415.26	135	5,530.76
3	चिकित्सा	19	318.39	38	509.66	57	828.05
4	पी.एच.ई.डी.	178	190.37	15	79.17	193	269.54
5	लोक निर्माण विभाग	3	1.41	16	462.33	19	463.74
6	सिंचाई	1	0.05	2	33.95	3	34.00
7	वन	3	26.42	2	77.32	5	103.75
8	भूजल	3	5.63	1	1.58	4	7.21
9	आई.जी.एन.पी.	6	12.56	5	69.73	11	82.29
10	न्याय	4	0.63	9	116.63	13	117.26
11	पुलिस	19	17.16	4	17.33	23	34.49
12	महिला एवं बाल विकास	0	0.00	3	6.05	3	6.05
13	स्थानीय स्वायत्त शासन	3	6.95	8	383.72	11	390.67
14	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	66	1,143.65	79	1,597.36	145	2,741.01
15	विविध	27	128.15	39	1030.16	66	1,158.31
	योग	434	2,122.28	314	10,983.39	748	13,105.67

परिशिष्ट 4.9

(संदर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 146)

स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	निकाय का नाम	साँपे जाने की अवधि	अवधि जिस वर्ष तक लेखे प्राप्त हुए	अवधि जिस तक पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई	विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति	बकाया लेखे
1	राजस्थान स्पादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2022-23	उपलब्ध नहीं	2023-24
2	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2022-23	उपलब्ध नहीं	2023-24
3	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2021-22	उपलब्ध नहीं	2023-24
4	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2021-22	उपलब्ध नहीं	2023-24
5	राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.), जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2017-18	2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2023-24
6	राजस्थान राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राजस्थान राज्य कैम्पा)	नियमित लेखा परीक्षा	2016-17 एवं 2017-18	2016-17 से 2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2023-24
7	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, जयपुर (रेरा)	नियमित लेखा परीक्षा	2021-22	2021-22	19.01.2024	2022-23 2023-24
8	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2022-23	8.02.2024	2023-24

परिशिष्ट 4.10

(संदर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 146)

निकायों और प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिसका लेखा प्राप्त नहीं हुआ	पिछले वर्षी के दौरान प्राप्त अनुदान (₹ लाख में)	पिछले वर्षी के दौरान किया गया व्यय (₹ लाख में)
आयुर्वेद					
1	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2	2021-22 से 2022-23	11,236.84 (2020-21)	3,656.75
2	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	1,007.67 (2020-21)	43.02
3	राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	21,781.89 (2020-21)	1,723.87
गृह					
1	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, मथानिया रोड, जोधपुर	3	2020-21 से 2022-23	441.09 (2019-20)	728.61
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
1	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, जयपुर	1	2022-23	9,360.60 (2021-22)	3,763.68
2	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, जयपुर (एन.एच.एम.)	2	2021-22 से 2022-23	5,76,050.06 (2020-21)	2,90,318.80
3	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), अजमेर	0	2021-22 से 2022-23	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एन.एच.एम.) के समेकित रूप में प्राप्त लेखों के साथ।	यह व्यय राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एन.एच.एम.) के समेकित लेखों में शामिल है।
4	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), अलवर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
5	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), बांसवाड़ा	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
6	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), भरतपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
7	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), बीकानेर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
8	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), चित्तौड़गढ़	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
9	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), दूरी	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
10	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), जयपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
11	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), जालौर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
12	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), जोधपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
13	अधिरासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), कोटा	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिसका लेखा प्राप्त नहीं हुआ	पिछले वर्षी के दौरान प्राप्त अनुदान (₹ लाख में)	पिछले वर्षी के दौरान किया गया व्यय (₹ लाख में)
14	अधिशाली अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), नागौर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
15	अधिशाली अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), सवाई माधोपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
16	अधिशाली अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), सीकर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
17	अधिशाली अभियंता सिविल कार्य डिवीजन (एनएचएम), उदयपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
18	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2022-23	9,271.79 (2021-22)	7,575.24
19	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी, जयपुर	1	2022-23	1,72,993.83 (2021-22)	1,46,660.34
20	राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जयपुर	1	2022-23	1,11,150.72 (2021-22)	16,099.43
अल्पसंख्यक मामलात					
1.	राजस्थान राज्य हज समिति, जयपुर	1	2022-23	शुन्य (2021-22)	9.48
2.	राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	11,276.04 (2020-21)	8,536.11
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग					
1	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2022-23	2,777.85 (2021-22)	110.94
2	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर।	1	2022-23	301.48 (2021-22)	298.73
3	राजस्थान एससी, एसटी वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	4	2019-20 से 2022-2023	1,000.00 (2018-19)	3,831.56
4	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	120.70 (2020-21)	2439.37
महिला एवं बाल विकास					
1	राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर	1	2022-23	304.68 (2021-22)	249.01
2	हितकारिणी महिला आंगनवाड़ी कामगार प्रशिक्षण केन्द्र, सिटी पैलेस, कोटा	3	2020-21 से 2022-23	7.50 (2019-20)	7.51
योग		30			